



Mumbai Metro Rail Corporation Limited  
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

### BOARD OF DIRECTORS

MR. MADHUSUDAN PRASAD (CHAIRMAN), IAS	श्री. मधुसुदन प्रसाद (आयुक्त) भा.प्र.से.
MR. U.P.S. MADAN, IAS	श्री. यु.पी.एस. मदन, भा.प्र.से.
DR. NITIN N. KAREER, IAS	श्री. नितीन करीर, भा.प्र.से.
MR. AJOY MEHTA, IAS	श्री. अजोय मेहता, भा.प्र.से.
MR. SUDHIR SHRIVASTAVA, IAS	श्री. सुधीर श्रीवास्तव, भा.प्र.से.
MRS. JHANJA TRIPATHY,	श्रीमती. झंजा त्रिपाठी
MRS. ASHWINI BHIDE, IAS (MANAGING DIRECTOR)	श्रीमती. अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. (व्य. संचालिका)
MR. MUKUND KUMAR SINHA	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा
MR. SHAILJINDRA KR. SHARMA	श्री. शैलेंद्र कृ. शर्मा
MR. ANOOP KR. GUPTA	श्री. अनुप कृ. गुप्ता
MR. SUBODH GUPTA	श्री. सुबोध गुप्ता
MR. AJAYKUMAR A. BHATT.	श्री. अजयकुमार अ. भट्ट

### COMPANY SECRETARY

Ms. RITU DEB

कंपनी सचिव

रितु देब

### STATUTORY AUDITOR

A.V. AROLKAR & CO. MUMBAI

वैधानिक लेखापरी

ए.व्ही. अरोळकर अँड कंपनी मुंबई

### REGISTERED OFFICE:

नोंदणी कार्यालय

### MMRCL:

मुं.म.रे.कॉ.लि

BLOCK – C14-15

ब्लॉक – सी१४-१५

MMRDA BUILDING

मुं.म.प्र.वि.प्रा. विल्डींग

BANDRA-KURLA COMPLEX

वांद्रे – कुर्ला कॉम्प्लेक्स

BANDRA (E), MUMBAI – 400051

वांद्रे (ए) मुंबई – ४०००५१

### CORPORATE OFFICE

कॉर्पोरेट ऑफिस

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION. LTD.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

PLOT NO. R-13,E-BLOCK,

प्लॉट न. १३, इ-ब्लॉक,

NAMTTRI BLDG.,

नामट्री विल्डींग, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

BKC, BANDRA (E)

वांद्रे (ए), मुंबई- ४०००५१

MUMBAI 400051



## सूचना

सूचना दी जाती है कि मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित के सदस्यों की 7 वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन 23 सितम्बर 2015 को प्रातः 11 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श हेतु किया जाएगा:

### सामान्य कार्य:

- 1) निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2015 तक को समाप्त वित्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण तथा 31 मार्च 2015 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्राप्ति, विचार विमर्श तथा ग्रहण।
- 2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 व 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना तथा तथा निम्न को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।
- 3) क्रमावर्तन के अनुसार सेवानिवृत्त तथा पुनः नियुक्ति हेतु योग्य, श्री सुबोध कुमार गुप्ता, कंपनी निदेशक की पुनः नियुक्ति पर विचार विमर्श।

### विशेष कार्य :

#### 4) श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा की कंपनी निदेशक के पद पर नियुक्ति

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो, बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा अन्य प्रावधानों के साथ भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं F.No. K-14011/53/2013 MRTS-Coord dated 11th March, 2015 व F.No. K-14011/53/2013 MRTS-Coord, जो उचित हो, तथा इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं F.No. K-14011/53/2013 MRTS-Coord के अनुसार,



2013, as may be applicable, and the F. No. K- 14011/53/2013 MRTS-Coord issued by the Government of India in this regard, **Mr. Mukund Kumar Sinha**, Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, bearing **DIN No. 06774923** be and is hereby appointed as an ex-officio Nominee Director of the Company with effect from 11th March, 2015 until otherwise decided by the Government of India through further orders."

**"RESOLVED FURTHER THAT**, any one of the Directors of the Company be and is hereby authorized to undertake all the necessary actions and file the necessary E-Forms to intimate the above appointment with the Ministry of Corporate Affairs and to undertake all the steps in this regard."

**(5) Appointment of Mr. Ajoy Mehta as a Director of the Company**

To consider and if thought fit, to pass the following with or without modification as an Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT** in terms of the Letter No: 1115/10/2015/10 dated 27.04.2015, issued by the Government of Maharashtra read with Section 160, 161 and other provisions of the Companies Act, 2013 as may be applicable, **Mr. Ajoy Mehta**, Municipal Commissioner Greater Mumbai, bearing **DIN: 00155180** be and is hereby appointed as an ex-officio of Government of Maharashtra, Nominee Director of the Company with effect from 27th April, 2015 until otherwise decided by the Government of Maharashtra, through further orders."

**"RESOLVED FURTHER THAT** any one of the Directors of the Company be and is hereby authorised to undertake all the necessary actions and file the necessary E-forms to intimate the above appointment with the Ministry of Corporate Affairs and to undertake all the steps in this regard."

**(6) Appointment of Mr. Sudhir Kumar Shrivastava as a Director of the Company:**

To consider and if thought fit, to pass the following with or without modification as an

यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा अन्य प्रावधानों के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी पत्र सं MRD-3313/C.R. 129/UD-7 dated 30.06.2015, जो उचित हो, के अनुसार,

श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव , निदेशक पहचान सं 01664217, जोकि मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार के पद पर नियुक्त हैं, 30 जून 2015 से, जब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा जब तक अन्य आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक कंपनी के मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी के निदेशकों में से किसी एक को , उपरोक्त नियुक्ति को भरने हेतु कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ आवश्यक कार्यवाही करने तथा आवश्यक ई फॉर्म फाइल करने व इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए, प्राधिकृत किया जाता है ।

#### मद संख्या 7

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो, बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि, समय-समय पर संशोधित उचित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में पारित सभी पुराने संकल्पों के अधिक्रमण के उपरांत, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) (e) व 42 के प्रावधानों के प्रसंग में, शेयरधारक कंपनी के रु 100/- प्रत्येक शेयर के 12680000 इक्विटी शेयरों के शेष अधिमान्य शेयर रद्द करने के लिए अनुमति देते हैं।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, प्रबंध निदेशक को इस संकल्प को प्रभाव में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने तथा इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

मंडल के आदेशानुसार

स्थान : मुंबई

तिथि: 18 अगस्त 2015

अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक



**MMRC**

**Mumbai Metro Rail Corporation Limited**  
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

**Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT**, in terms of the Letter No. MRD -3313/C.R.129/ UD -7, dated 30.06.2015, issued by the Government of Maharashtra read with Section 160, 161 and other provisions of the Companies Act, 2013, as may be applicable **Mr. Sudhir Kumar Srivastava Addl. Chief Secretary (Finance) Government of Maharashtra bearing DIN No: 01664217** be and is hereby appointed as a Nominee Director of the Company with effect from 30th June 2015, until otherwise decided by the Government of Maharashtra, through further orders."

**"RESOLVED FURTHER THAT**, any one of the Directors of the Company be and is hereby authorized to undertake all the necessary actions and file the necessary E-Forms to intimate the above appointment with the Ministry of Corporate Affairs and to undertake all the steps in this regard."

**Item No 7**

To consider and if thought fit, to pass the following with or without modification as an

**Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT**, subject to the provisions of Section 62(1) (c) and Section 42 of the Companies Act, 2013 read with the applicable rules, regulations, notifications and circulars as amended from time to time and in supercession of all the earlier resolutions passed in this regard, the shareholders hereby give their consent to cancel the remaining preferential issue of equity shares of the Company of 12680000 Equity Shares of Rs. 100/- each,

**"FURTHER RESOLVED THAT**, the Managing Director, be and is hereby authorized to undertake all the necessary steps for giving effect to this resolution and to undertake all the necessary steps in this regard."

**Place: Mumbai**

**Date: 18<sup>th</sup> August, 2015**

**By Order of the Board**

**Ashwini Bhide**

**Managing Director**

## नोट्स:

क) उपस्थिति एवं मतदान हेतु हकदारित सदस्य उसके स्थान पर उपस्थिति व मतदान हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदारित किया जाता है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधान के अनुपालन में, एक व्यक्ति, अधिकतम 50 सदस्यों के लिए तथा कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व न होने पर, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व रखने वाले सदस्य एक अकेले व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो किसी अन्य सदस्य के प्रतिनिधि का कार्य नहीं करेगा। प्रभावपूर्ण करने के लिए, प्रतिनिधि का दस्तावेज़, बैठक की शुरुआत से अधिकतम 48 घंटों पहले, पूरी तरह भरा हुआ एवं हस्ताक्षर किया हुआ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा। इस रिपोर्ट के साथ प्रतिनिधि(प्रोक्सी) फॉर्म संलग्न है। मर्यादित कंपनियों, सोसाइटी इत्यादि के लिए प्रतिनिधि हेतु निवेदन उचित संलक्षप/प्राधिकार, जो लागू हो, के साथ लगा हुआ होना चाहिए।

ख) सदस्यों/प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थिति हेतु इसके साथ संलग्न उपस्थिति स्लिप पूरी तरह भरी हुई लाएँ।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में, वार्षिक सामान्य बैठक में विशेष व्यवसाय के कार्य सम्पादन के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

घ) जब तक वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हो जाती तब तक, कंपनी के संघ के ज्ञापन एवं अनुच्छेद के दस्तावेजों का ड्राफ्ट, प्रस्तावित परिवर्तन के साथ सभी कार्य दिवसों में 11.00 बजे से 3.00 बजे के बीच कंपनी के शेयरधारकों के निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

ङ) मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति कार्यालयीन समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण हेतु रखी हुई है।



**MMRC**

**Mumbai Metro Rail Corporation Limited**

(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

**NOTES:**

- a) A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS / HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. Pursuant to the provisions of Section 105 of the Companies Act, 2013, a person can act as a proxy on behalf of not more than fifty members and holding in aggregate not more than ten percent of the total Share Capital of the Company. Members holding more than ten percent of the total Share Capital of the Company may appoint a single person as proxy, who shall not act as a proxy for any other Member. The instrument of Proxy, in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not later than 48 hours before the commencement of the meeting. A Proxy Form is annexed to this Report. Proxies submitted on behalf of limited companies, societies, etc., must be supported by an appropriate resolution / authority, as applicable.
- b) Members/ Proxies are requested to bring in duly filled in attendance slip attached herewith, to attend the Meeting.
- c) An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 relating to the Special Businesses to be transacted at the Annual General Meeting (AGM) is annexed hereto.
- d) The draft of the documents of Memorandum and Articles of Association of the Company, with the proposed alterations are available for the inspection of the Shareholders of the Company at the Registered Office of the Company on all working days between 11:00 a.m. to 3:00 p.m. until the date of the Annual General Meeting.
- e) A copy of the valuation report is kept for inspection at the Registered Office of the Company during the business hours.

**Office Address:** NaMTTRI Building, Plot # R 13, E Block, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051  
**T** +91 22 2638 4602 **F** +91 22 2659 2005 **E** mumbaimetro3@mmrc.com **www.mmrc.com**

**Registered Office:** MMRDA Building, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051

**नोटिस का स्पष्टीकरण विवरण**  
**(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुपालन में)**

**मद संख्या 4:**

कंपनी द्वारा प्राप्त भारत सरकार के पत्र सं F.No. K-14011/53/2013 MRTS-Coord दिनांक 11th March 2015 के संदर्भ में, श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव (यू टी), नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री चित्तरंजन कुमार खैतान के स्थान पर, कंपनी के मंडल में पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर दिनांक 11 मार्च 2015 से नियुक्त किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के आधार पर उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा ने कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, कुछ भी, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से कोई भी किसी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबद्ध, क्रमशः नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 4 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है।





**Mumbai Metro Rail Corporation Limited**  
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

**EXPLANATORY STATEMENT TO THE NOTICE**  
(Pursuant to Section 102 to the Companies Act 2013)

**Item No. 4:**

The Letter No. F. No. K- 14011/53/2013 MRTS- Coord dated 11<sup>th</sup> March, 2015 as received by the Company from the Government of India appointing Mr. Mukund Kumar Sinha, Jt. Secretary (UT), Ministry of Urban Development, Government of India as an ex-officio Nominee Director on the Board of the Company, in place of Mr. Chittaranjan Kumar Khaitan with effect from 11<sup>th</sup> March, 2015.

The said appointment requires the approval of the shareholders by virtue of provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013.

Mr. Mukund Kumar Sinha has given his written consent to be appointed as Director of the Company and has declared that he is not disqualified from being appointed as per the provisions of the Companies Act, 2013.

None of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) or their relatives, Mr. Mukund Kumar Sinha, is interested or concerned with the resolutions respectively, in any individual or personal manner, whatsoever, other than the shares held by them as nominees of the respective Governments and by virtue of being the nominees of the respective Governments on the Board of Directors

The Board recommends the approval of the resolutions set in Item No. 4 as Ordinary Resolutions by the Members.

**मद संख्या 5:**

महाराष्ट्र सरकार के पर मुख्य सचिव (सेवा) द्वारा जारी पत्र सं 1115/10/2015/10 दिनांक 27.04.2015 के संदर्भ में, श्री अजोय मेहता (आईएएस)नगर निगम आयुक्त ग्रेटर मुंबई श्री सीताराम कुंटे(आईएएस) के स्थान पर कंपनी के मंडल में पदेन मनोनीत निदेशकके पद पर दिनांक 27 अप्रैल 2015 से नियुक्त किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के आधार पर उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री अजोय मेहता ने कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, कुछ भी, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से कोई भी किसी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबद्ध , क्रमशः नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों द्वारा मद सं 5 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है।

**मद संख्या 6:**

पत्र सं MRD-3313/C.R.129/UD-7 दिनांक 30th June 2015 के संदर्भ में, महाराष्ट्र सरकार ने श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव(वित्त)को मुंबई मेट्रो रेल नियम मर्यादित के निदेशक मंडल में महाराष्ट्र सरकार मनोनीत व्यक्ति के पद हेतु नामित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के आधार पर उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।



**Item No. 5:**

In term of the letter No .1115/10/2015/10 dated 27.04.2015 issued by Additional Chief Secretary (Service) of Government of Maharashtra appointing Mr. Ajoy Mehta, (IAS) Municipal Commissioner Greater Mumbai as an ex-officio Nominee Director on the Board of the Company, in place of Mr. Sitaram Kunte (IAS) with effect from 27<sup>th</sup> April 2015

The said appointment requires the approval of the shareholders by virtue of provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013.

Mr. Ajoy Mehta has given his written consent to be appointed as Director of the Company and has declared that he is not disqualified from being appointed as per the provisions of the Companies Act, 2013.

None of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) or their relatives, Mr. Ajoy Mehta, is interested or concerned with the resolutions respectively, in any individual or personal manner, whatsoever, other than the shares held by them as nominees of the respective Governments and by virtue of being the nominees of the respective Governments on the Board of Directors

The Board recommends the approval of the resolutions set in Item No. 5 as Ordinary Resolutions by the Members.

**Item No. 6 :**

Vide Letter No: MRD -3313/C.R.129/ UD -7, dated 30<sup>th</sup> June 2015 Government of Maharashtra, has nominated **Mr. Sudhir Kumar Shrivastava Addl. Chief Secretary (Finance)**, as a Government of Maharashtra nominee on the Board of Director of MMRCL.

The said appointment requires the approval of the shareholders by virtue of provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013.

श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, कुछ भी, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से कोई भी किसी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबद्ध, क्रमशः नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों द्वारा मद सं 6 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है।

**मद संख्या 7:**

नगर विकास मंत्रालय के पत्र सं K-14011/36/2009-Metro/MRTS-II(Vol.III) दिनांक 18 जुलाई 2013 द्वारा जारी अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने इसकी 23 मार्च 2015 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के मनोनीत व्यक्तियों को रु 100/- प्रति शेयर की मूल्य से 19995000 इक्विटी शेयर जारी करने हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया था ।

तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार तथा महाराष्ट्र राज्यपाल को 7315000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम सं	शेयरधारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	एक शेयर की अंकित कीमत
1	श्री मधुसूदन प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रपति	3660000	100
2	श्री यू.पी.एस.मदन द्वारा राज्य के राज्यपाल	3655000	100



**MMRC**

**Mumbai Metro Rail Corporation Limited**  
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

Mr. **Sudhir Kumar Shrivastava** has given his written consent to be appointed as Director of the Company and has declared that he is not disqualified from being appointed as per the provisions of the Companies Act, 2013.

None of the Director

None of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) or their relatives, **Mr. Sudhir Kumar Shrivastava** is interested or concerned with the resolutions respectively, in any individual or personal manner, whatsoever, other than the shares held by them as nominees of the respective Governments and by virtue of being the nominees of the respective Governments on the Board of Directors

The Board recommends the approval of the resolutions set in Item No. 6 as Ordinary Resolutions by the Members.

**Item No 7**

The Company in its 3<sup>rd</sup> Extra-Ordinary General Meeting held on 23<sup>rd</sup> March 2015, obtained the approval of the Shareholders by means of a Special Resolution to issue 19995000 Equity Shares at Rs. 100/- per share to the nominees of Government of India and Government of Maharashtra, in terms of the approval issued by the Ministry of Urban Development, Government of India vide Letter No. K-14011/36/2009-Metro/MRTS-II (Vol. III) 18th July, 2013.

Accordingly, the Company has allotted 7315000 Equity shares to the government of India and Governor of Maharashtra as follows:

No	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	Nominal Value per share (Rs)
1	President of India through Mr. Madhusudan Prasad	3660000	100
2	Governor of the State through Mr. U.P.S. Madan	3655000	100

**Office Address:** NaMTTRI Building, Plot # R 13, E Block, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051  
**T** +91 22 2638 4602 **F** +91 22 2659 2005 **E** mumbaimetro3@mmrc.com **www.mmrc.com**

**Registered Office:** MMRDA Building, BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051

कंपनी द्वारा भविष्य में इक्विटी शेयरों के अधिमान्य शेयर जारी न करने का निर्णय लिया है। निर्देशक मंडल शेष इक्विटी शेयरों के जारी अधिमान्य शेयर विखंडित किए जा सकते हैं।

भविष्य में, कंपनी तब तक कोई अन्य शेयर जारी नहीं कर सकती जब तक यह कोई बकाया अधिमान्य शेयर प्रस्ताव पूरा नहीं कर देती या इस प्रकार का निर्गमन रद्द नहीं किया जाता।

उक्त विखंडन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है। मंडल, सदस्यों द्वारा मद सं 7 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है।

स्थान: मुंबई

तिथि: 18 अगस्त 2015

अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक



**Mumbai Metro Rail Corporation Limited**  
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

Further, the Company has decided not to go ahead with this preferential issue of equity shares. The preferential issue of remaining equity shares may be rescind by the Board of Directors.

Further, the company cannot issue any other shares unless it completes any outstanding preferential offer of shares or such an issue is cancelled.

The said rescindment requires the approval of the shareholders. The Board recommends the approval of the resolutions set in Item No. 7 as Ordinary Resolutions by the Members.

**Place: Mumbai**

**Date: 18<sup>th</sup> August, 2015**

**Ashwini Bhide**

**Managing Director**

सेवा में,  
सदस्य  
मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित  
मुंबई

आपके निदेशकों को, वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के कारोबार, प्रचालन तथा वित्त स्थिति पर कंपनी के निदेशक बोर्ड की 7 वीं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुता हो रही है।

### 1. वित्तीय परिणाम एवं निष्पादन

31 मार्च 2015 तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि रुपयों में)

विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए	वर्ष 2013-14 के लिए
कुल आय	52,03,375	81,545
कम: प्रचालन व्यय	5,16,83,155	44,43,390
कम: अवमूल्यन	9,02,176	34,551
कम: वित्तीय व्यय	896	186
कर पूर्व लाभ(हानि)	-46,479,780	-4,361,845
कम: कर व्यय	0	0
कर के बाद शुद्ध लाभ(हानि)	-46,479,780	-4,361,845
सामान्य संरक्षण में अंतरण	0	0
तुलन पत्र में अग्रणीत लाभ	-46,479,780	-4,361,845

### 2. वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश

चालू तथा पिछले वित्त वर्ष में होने के कारण, निदेशक बोर्ड कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी अंतिम लाभांश की मंजूरी नहीं दी है।

### 3. कंपनी की संरचना में बदलाव

कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक तथा राज्य सरकारी कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी, (मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा) भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम बन गई है। भारत सरकार ने, पत्र सं 14011/36/2009Metro/MRTS-II(Vol III) दिनांक 18/07/2013 के संदर्भ में, कंपनी को मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा-सीपड़ा) परियोजना के कार्य के लिए विशेष प्रोजेक्ट माध्यम (SPV) के रूप में नियुक्त किया है।





## DIRECTORS REPORT

To,  
The Members,  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited  
Mumbai

Your Directors have the pleasure in presenting to you, the 7<sup>th</sup> Report of the Board of Directors of the Company on the business, operations and financial position of the Company for the Financial Year 2014-15.

### 1. Financial Results and Performance

The financial position of the Company for the Financial Year ending on 31<sup>st</sup> March, 2015 vis-à-vis the position as on 31<sup>st</sup> March, 2014 is as follows:

(All figures in Rs.)

Particulars	For FY 2014-15	For FY 2013-14
Total Income	52,03,375	81,545
Less: Operating Expenses	5,16,83,155	44,43,390
Less: Depreciation	9,02,176	34,551
Less: Financial Expenses	896	186
Profit (Loss) Before Tax	-46,479,780	-4,361,845
Less: Tax Expense	0	0
Net Profit (Loss) After Tax	-46,479,780	-4,361,845
Transfer to General Reserves	0	0
Profit Carried Forward to the Balance Sheet	-46,479,780	-4,361,845

### 2. Dividend for the Financial Year 2014-15

In lieu of the losses for the current and the previous Financial Years, the Board of Directors do not recommend any Final Dividend on the Equity Shares of the Company.

### 3. Change in the Structure of the Company

The Company was incorporated as a State Government Company and a wholly-owned subsidiary of MMRDA. During the year under review, the Company has become a Joint Venture between the Government of India and Government of Maharashtra (through MMRDA). The Government of India has vide their Letter No. 14011/36/2009Metro /MRTS-II (Vol III) dated 18<sup>th</sup> July 2013, appointed the Company as the Special Project Vehicle (SPV) for the execution of the Metro Line III (Colaba-Bandra-SEEPZ) Project.

#### 4. कंपनी के शेयर जारी करना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु 25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रु) से बढ़ाकर रु 10/- प्रति शेयर के 50 करोड़ इक्विटी शेयरों को केवल शामिल करते हुए रु 5,00,00,000,000(पाँच हजार करोड़ रु) गई थी। उक्त बढ़ोतरी कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई को पंजीकृत करा दी गई है।

कंपनी ने इसकी छठी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों से भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार के मनोनीत को 1,99,95,000 इक्विटी शेयरों के अधिमान्य शेयर जारी करने की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। फिर भी, निर्दिष्ट मनोनीत में बदलाव होने के कारण, बोर्ड ने इसकी 36 बैठक में शेयर निर्गम रद्द कर दिया था। कंपनी की तीसरी असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा 1,99,95,000 इक्विटी शेयरों के नए शेयर जारी करने की मंजूरी दी गई थी, तत्पश्चात, जैसा की 11जून 2015 तथा 7 अगस्त 2015 को क्रमशः आयोजित 34 वीं तथा 35 वीं बोर्ड बैठक में दिया गया है, कंपनी ने भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के मनोनीत को अंकित मूल्य पर 7315000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

#### 5. कंपनी के जापन एवं अंतर्नियम में बदलाव

कंपनी की द्वितीय असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अनुसार, कंपनी के जापन एवं अंतर्नियम में बदलाव किया जा चुका है तथा कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई को उल्लेख कर दिया गया है।

#### 6. कंपनी का प्रचालन

केंद्र सरकार के पत्र सं 14011/36/2009/Metro/MRTS-II(Vol III) दिनांक 18 जुलाई 2013 द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार, कंपनी कोलाबा-बांद्रा-सीपड़ा मेट्रो लाइन 3 परियोजना के लिए विशेष प्रोजेक्ट माध्यम है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी रखती है :

वर्तमान में निगम कोलाबा-बांद्रा-सीपड़ा से मेट्रो लाइन-3 के कार्यान्वयन में है जोकि 33.5 किलोमीटर है तथा जिसका कार्य 2020 तक पूर्ण करना अपेक्षित है। मेट्रो रेल निगम के गठन तथा अन्य मेट्रो सिटी में सामान्य प्रयोग के अनुसार, शेष 105 मार्गों का कार्यान्वयन निगम द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इन मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है जिसकी रिपोर्ट निर्णय लेने के तुरंत बाद दे दी जाएगी।



#### **4. Issue of Shares of the Company**

The Authorized Share Capital of the Company was increased from Rs. 25, 00, 00,000 (Rupees Twenty Five Crores) to Rs. 5,00,00,00,000 (Rupees Five Hundred Crores) only consisting of 50 Crore Equity Shares of Rs. 10/- each. The said increase has been registered with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.

The Company had in its 6<sup>th</sup> AGM obtained the approval of the Shareholders for the Preferential Allotment of 1,99,95,000 Equity Shares to the nominees of the Government of India and Government of Maharashtra. However, due to certain change in the designated nominees, the Board cancelled the issue in its \_\_ Board Meeting. A fresh issue of 1,99,95,000 Equity Shares was approved by the Shareholders in the 3<sup>rd</sup> Extra-Ordinary General Meeting of the Company Subsequently, the Company has allotted 7315000 Equity Shares at par to the nominees of the Government of India and Government of Maharashtra as follows in their 34<sup>th</sup> and 35<sup>th</sup> Board Meeting held on 11<sup>th</sup> June 2015 and 7<sup>th</sup> August, 2015 respectively.

#### **5. Alteration in the Memorandum and Articles of Association of the Company**

Pursuant to the Shareholders approval in the 2<sup>nd</sup> EGM of the Company, the Memorandum and Articles of Association have been altered and registered with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.

#### **6. Operations of the Company**

Pursuant to the approval of the Central Government vide their Letter No. 14011/36/2009Metro /MRTS-II (Vol III) dated 18<sup>th</sup> July 2013 the Company is a SPV for the Metro Line III project for the Colaba-Bandra-SEEPZ Line. During the year under review, the Company has:

Mumbai Metro Master Plan prepared for the Mumbai City as about 150 km of Metro network, out of which 12 km has been implemented on BOOT process MMRDA. The Corporation is currently implementing the Metro Line-3 from Colaba-Bandra-SEEPZ which is 33.5 km project execution is expected to be completed by 2020. As per the constitution of the Metro Rail Corporation and general practice in the other metro cities the balance 105 corridor is expected to be implemented by the corporation. A decision on these corridor is yet to be taken by the State Government which shall be report immediately as and when taken.

## 7. निदेशक मंडल

इस रिपोर्ट के अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल मिम्नलिखित है:

निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री मधुसूदन प्रसाद	02665954	02/02/2015	अध्यक्ष
श्रीमती अश्विनी सतीश भिड़े	02861008	05/01/2015	प्रबंध निदेशक
श्री उर्वीन्द्र पाल सिंह मदन	03570256	02/03/2013	मनोनीत निदेशक
डॉ नितिन नंदकिशो करीर	01624863	05/01/2015	मनोनीत निदेशक
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	06774923	11/03/2015	मनोनीत निदेशक
श्रीमती झांजा त्रिपाठी	06859312	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री अनूप कुमार हुपता	06572327	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा	06990949	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री अजोय मेहता	00155180	27/04/2015	मनोनीत निदेशक
श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	07110097	06/02/2015	प्रयोजनमूलक निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	07114292	14/01/2015	प्रयोजनमूलक निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार, श्री सुबोध कुमार गुप्ता क्रमावर्तन द्वारा कंपनी की 7 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सेवानिवृत्त होते हैं तथा पुनः नियुक्ति के योग्य होते हुए स्वयं को प्रस्ताव देते हैं। संबन्धित सरकार द्वारा निम्न निदेशकों को नामांकन का अंतरण/वापसी लेने हेतु निदेशक मंडल का हिस्सा बनने से रोक दिया गया है :

1. 5 जनवरी 2015 से श्री संजय सेठी
2. 2 फरवरी 2015 से श्री संकर अग्रवाल
3. 3 जनवरी 2015 से श्री मनु कुमार श्रीवास्तव
4. 11 मार्च 2015 से श्री चित्तरंजन कुमार खैतान
5. 27 अप्रैल 2015 से श्री सीताराम कुंटे

निदेशक मंडल ने उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी कार्यालयीन अवधि में दिए गए योगदान एवं निवेश के लिए प्रशंसा की है।

## 7. Board of Directors

During the period of this Report, there were significant changes in the composition of the Board of Directors of the Company. The Board of Directors as on the date of this Report are as follows:

Name of the Director	DIN	Date of Appointment	Designation
Mr. Madhusudan Prasad	02665954	02/02/2015	Chairman
Ms. Ashwini Satish Bhide	02861008	05/01/2015	Managing Director
Mr. Urvinder Pal Singh Madan	03570256	02/03/2013	Nominee Director
Dr. Nitin Nandkishor Kareer	01624863	05/01/2015	Nominee Director
Mr. Mukund Kumar Sinha	06774923	11/03/2015	Nominee Director
Ms. Jhanja Tripathy	06859312	12/08/2014	Nominee Director
Mr. Anoop Kumar Gupta	06572327	12/08/2014	Nominee Director
Mr. Shailendra Kumar Sharma	06990949	12/08/2014	Nominee Director
Mr. Ajoy Mehta	00155180	27/04/2015	Nominee Director
Mr. Ajaykumar Amarnath Bhatt	07110097	06/02/2015	Functional Director
Mr. Subodh Kumar Gupta	07114292	14/01/2015	Functional Director

Pursuant to the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013, Mr. Subodh Kumar Gupta retires by rotation at the 7<sup>th</sup> AGM of the Company and being eligible offers himself for re-appointment.

The following ceased to be a part of the Board of Directors on account of transfer/ withdrawal of nomination by the respective Government:

1. Mr. Sanjay Sethi w.e.f. 5<sup>th</sup> January, 2015
2. Mr. Sankar Aggarwal w.e.f. 2<sup>nd</sup> February, 2015
3. Mr. Manu Kumar Srivastava w.e.f. 3<sup>rd</sup> January, 2015
4. Mr. Chittaranjan Kumar Khaitan w.e.f. 11<sup>th</sup> March, 2015
5. Mr. Sitaram Kunte w.e.f. 27<sup>th</sup> April 2015

The Board of Directors places on record its appreciation to the above individuals for their contribution and inputs during their tenure with the Board.

#### 8. बोर्ड बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक बोर्ड की चार बैठकें हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
30 वीं	20 जून 2014	5
31 वीं	12 अगस्त 2014	10
32 वीं	6 दिसम्बर 2014	7
33 वीं	13 मार्च 2015	10

#### 9. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने निम्न को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया है :

1. श्रीमती अश्विनी भिड़े, आई ए एस, प्रबंध निदेशक के पद पर
2. श्री इंद्रनील सरकार, मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर
3. श्रीमती ऋतु देब, कंपनी सचिव के पद पर
10. कंपनी के वित्त वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबन्धित है, की समाप्ती तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुए भौतिक बदलाव और वायदे, यदि कोई, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो  
कंपनी के वित्त वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबन्धित है, की समाप्ती तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई भौतिक बदलाव और वायदे घटित नहीं हुए हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो।
11. भविष्य में कंपनी के प्रचालन तथा भविष्य में कंपनी के चालू रहने के स्थिति पर प्रभाव डालने वाले विनियामक या न्याय या अधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्व और भौतिक आदेशों का विवरण

भारत सरकार के अनुमोदन से, अविास क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, मेट्रो लाइन-3 का कार डिपो आरे कॉलोनी, जोकि पूर्ण रूप से सरकार की जमीन है, में बनाए जाने का प्रस्ताव है। निगम ने, भूमि प्रयोग के आवश्यक प्रभार(एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1966 के अंतर्गत प्रक्रिया ) को लागू करने के तथा वृक्ष कटाव तथा वृक्षारोपणहेतु वृक्ष प्राधिकरण(नगर निगम के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकरण ) की मंजूरी के साथ इस भूमि को कार डिपो के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया था। नागरिकों के द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, वृक्ष प्राधिकरण की मंजूरी पर रोक लगा दी गई थी। माननीय मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने भी उक्त स्थान पर

### 8. Details of the Board Meetings

The Board of Directors met 4 times during the Financial Year 2014-15, the details of which were as follows:

Number of Board Meeting	Date of the Board Meeting	No. of Directors Present
30 <sup>th</sup>	20 <sup>th</sup> June, 2014	5
31 <sup>st</sup>	12 <sup>th</sup> August, 2014	10
32 <sup>nd</sup>	6 <sup>th</sup> December, 2014	7
33 <sup>rd</sup>	13 <sup>th</sup> March, 2015	10

### 9. Key Managerial Personnel

During the Period under review, the Board of Directors have appointed the following as the Key Managerial Personnel of the Company:

1. Ms. Ashwini Bhide, IAS as the Managing Director
2. Mr. Indranil Sarkar as the Chief Financial Officer
3. Ms. Ritu Deb as the Company Secretary

### 10. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

There is no material changes and commitments, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

### 11. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

As per the Government of India's approval the car depot for the Metro Line-3 is proposed at Aarey Colony which is a fully Government land with status of non-development zone. The Corporation proposed this land to be used as car depot after affecting necessary change of land use (process under MRTP Act, 1966) and the due permission of the Tree Authority (Statutory authority under Municipal Corporation) for cutting and transplanting the trees. Due to certain objections raised by the citizens, the permissions from Tree Authority had been withheld. Hon. Chief Minister, Govt. of Maharashtra has also advised the stay on all the

कार डिपो के इरमान हेतु सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का सुझाव दिया था। परिणामस्वरूप, ठेका, सिविल इंजीनियरिंग कार्य हेतु की जाने वाली तैयारी हेतु, अक्टूबर माह में दिया गया था

1. दीवार, आर.सी.सी. स्टोर्म पानी निकासी। आधारभूत विकास आदि सीमा निर्माण
2. प्लेबैंक प्रशिक्षण कक्ष(पी.टी.आर.) बिल्डिंग (जी+3) का निर्माण
3. कार डिपो में 1200 मि.मी. और 600 मि.मी.व्यास जल आपूर्ति अपयोजन अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेट्रोपॉलिटन आयुक्त, एम.एम.आर. डी.ए. की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था तथा समिति की रिपोर्ट 12 अगस्त 2015 को प्रस्तुत की गई है जिसके आधार पर माननीय मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।

#### 12. निक्षेप/जमा:

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने कोई निक्षेप स्वीकार/लिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोई राशि बकाया नहीं है जो कंपनी (जमा स्वीकृति)नियमावली, 2014 की सीमा में आती है।

#### 13 लेखापरीक्षक:

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सी.ए.जी.) के कार्यालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मै.ए.वी. एरोलकर & असोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं 100542 डब्ल्यू)को नियुक्त किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मै. ए.एस.वी.ए & कं. (फर्म पंजीकरण सं 110504 डब्ल्यू)को नियुक्त किया है।

#### 14. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई टिप्पणियाँ, अभिमत या अभ्युक्तियाँ नहीं हैं जिस पर कंपनी के निदेशक मंडल से जवाब अपेक्षित हो। सभी टिप्पणियाँ, अभिमत या अभ्युक्तियाँ, यदि कोई, स्वयं व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं।





activities on car depot construction on the said site. As a result the contract awarded in the month of October towards preparatory civil engineering works

- 1) Construction of boundary retaining wall, RCC storm water drain, ground development
- 2) Construction of Playback Training Room (PTR) building (G+3)
- 3) Diversion of 1200 mm and 600 mm diameter water supply lines at car depot have been temporarily suspended. Hon. Chief Minister constituted the Committee under the Chairmanship of Metropolitan Commissioner, MMRDA and report of the Committee is submitted on 12.08.2015 based on which other decisions will be taken by the Hon. Chief Minister, Govt. of Maharashtra.

#### **12. Deposits:**

The Company has not taken, accepted any Deposits during the year under review. Further, there are no amounts outstanding which fall within the purview of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

#### **13. Auditors:**

By virtue of being a Government Company, pursuant to the provisions of Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Company are appointed by the Office of the Comptroller & Auditor General, India (CAG). The CAG has appointed M/s A. V. Aroikar & Associates, Chartered Accountants (Firm Regn No: 100542W) as the Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2014-15.

The Comptroller & Auditor General, India (CAG) has appointed M/s R.S.V.A & Co., Chartered Accountants (Firm Regn No: 110504W) as the Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2015-16.

#### **14. Comments on the Report of the Statutory Auditors:**

There are no comments, observations or remarks in the Statutory Auditors' Report requiring a reply from the Board of Directors of the Company. All comments, observations and remarks, if any are self-explanatory in nature.

15. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेहन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय:

<b>क) ऊर्जा संरक्षण:</b>	
(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:	i. मेट्रो प्रणाली में एल.ई.डी. मुख्य प्रकाश व्यवस्था. ii. Providing LED base signages
(ii) ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत प्रयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	i. प्रकृतिक रोशनी का रास्ता बनाना ii. डिपो इत्यादि में सौर ऊर्जा का कार्यान्वयन
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	i. स्टेशनों पर सुव्यवस्थित प्रकाश प्रणाली जैसे सार्वजनिक स्थान आधारभूत लाइटिंग, प्राकृतिक प्रकाश मिला-जुला प्रकाश, अव्यस्त समय के दौरान कम प्रकाश का प्रयोग। ii. ऊर्जा नियंत्रण हेतु यात्री संघनता का वीडियो अनुवीक्षण। iii. यात्रियों की संख्या के आधार पर नियंत्रित वातानुकूलन. iv. अधिक क्षमता वाले चिल्लर प्लांट का प्रयोग।

**15. Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:**

During the Financial Year 2014-15, the details of the conservation of energy, technology absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo are as follows:

<b>A) Conservation of energy:</b>	
(i) the steps taken or impact on conservation of energy;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. LED as base lighting in metro systems.</li> <li>ii. Providing LED base signage's.</li> </ul>
(ii) the steps taken by the company for utilising alternate sources of energy;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i- Channeling natural light.</li> <li>ii- Implementing solar energy in depot etc.</li> </ul>
(iii) the capital investment on energy conservation equipment;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Smart lighting system at stations i.e. public occupation base lighting, natural lighting mix lighting, use of dimmer during nonpeak periods.</li> <li>ii. Video monitoring of passenger density for lighting control.</li> <li>iii. Controlled air-conditioning based on public occupation.</li> <li>iv. Use of high efficiency chiller plant.</li> </ul>

<b>(ख) तकनीकी आमेहन:</b>	
(i) तकनीकी आमेहन के लिए उठाए गए कदम	i. निविदा मूल्यांकन के समय नई पैदा हुई ब्रेकिंग संपर्क. ii. यान में एल.ई.डी.स्मार्ट लाइट तथा स्मार्ट वातानुकूलर. iii. कम भार वाली बोगियाँ।
(ii) उत्पाद में सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद का विकास या आयात प्रतिस्थापनआदि से प्राप्त लाभ	i. स्थायी चुंबक मोटर । ii. यानों में एच.वी.ए.सी. में दबाव को बदलने वाला
(iii) आयात की गई तकनीक के संबंध में(वित्त वर्ष के प्रारम्भ से गिनी गई पिछले तीन वर्षों में आयात की गई)	
(क) आयात की गई तकनीक का विवरण;	
(ख) आयात वर्ष;	
(ग) क्या तकनीक पूरी तरह से अपना ली गई है;	
(घ) यदि पूरी तरह से अपनाई नहीं गई है तो, क्षेत्र जहां अवमेहन नहीं किया गया है तथा इसके अवमेहन न करने का कारण; तथा	
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	
<b>(क) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय</b>	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के कारण विदेशी मुद्रा आय तथा वर्ष के दौरान वास्तविक निःस्त्राव के कारण विदेशी मुद्रा व्यय	निरंक

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत लोन, निवेश और गारंटी का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई लोन नहीं दिया है , कोई निवेश नहीं किया है या न ही किसी लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी दी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के कार्य क्षेत्र में आते हों। अतः कोई प्रकटीकरण देना अपेक्षित नहीं है।

<b>(B) Technology absorption:</b>	
(i) The efforts made towards technology absorption;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Linking Regenerative braking during tender evaluation.</li> <li>ii. LED base smart lighting &amp; smart AC in coaches.</li> <li>iii. Light weight bogies.</li> </ul>
(ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i- Permanent magnet motors.</li> <li>ii- Heat exchanger in HVAC in coaches.</li> </ul>
(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)-	
(a) The details of technology imported;	
(b) The year of import;	
(c) Whether the technology been fully absorbed;	
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and	
(iv) The expenditure incurred on Research and Development.	
<b>(C) Foreign exchange earnings and Outgo:</b>	
The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows.	Nil

**16. Particulars of Loans, Investments and Guarantee in terms of Section 134(3) (g) of the Companies Act 2013**

During the year under review, the Company has not given any loans, made any investments or given guarantees on any loans, which fall within the purview of the provisions of Section 134(3)(g) of the Companies Act, 2013 and hence, there are no disclosures required to be made thereof.

**17. संबन्धित पार्टी के ठेकों या विन्यासों का विवरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संबन्धित पार्टी के ठेकों या विन्यासों का विवरण निर्धारित प्रारूप ए.ओ.सी-2 में इस रिपोर्ट के साथ 'अनुसंलग्नक I' के रूप में संलग्न है।

**18. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिटर्न का उद्धरण फॉर्म एम.जी.टी.-9 में, इस रिपोर्ट के साथ 'अनुसंलग्नक II' के रूप में संलग्न है।

**19. कर्मचारी**

रु 5,00,000 प्रति माह या रु 60,00,000 प्रति वर्ष से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कोई कर्मचारी नहीं है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रयोजनमूलक निदेशकों को दत्त पारिश्रमिक का विवरण लेखापरीक्षित लेखों में दिया गया है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने यह कहा है कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान "कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न(रोक, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2011" के अंतर्गत कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

**20. निदेशक दायित्व विवरण**

निदेशकों ने यह कथित किया है कि:

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, माल प्रस्थान के लिए संबन्धित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ उचित लेखांकन मानकों का प्रयोग किया गया है।
- (ख) वित्त वर्ष की समाप्ती पर कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानि का सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं लगातार प्रयोग किया है तथा ऐसे फैसले व अनुमान लगाए हैं जो तर्क पूर्ण तथा दूरदर्शी हैं।
- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी का पता लगाना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेख कंपनी के लंबी अवधि तक चलते रहने के आधार पर तैयार किए हैं।
- (ङ) निदेशकों ने सभी कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रणाली के पर्याप्त तथा प्रभाव पूर्ण संचालन हेतु उचित व्यवस्था की है।



### **17. Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties**

The particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act 2013 for the Financial Year 2014-15 in the prescribed format, AOC-2 has been enclosed to this Report as "Annexure I".

### **18. Extract of the Annual Return**

The extract of the Annual Return for the Financial Year 2014-15, in Form MGT-9 as required under the provisions of the Companies Act, 2013, is attached as "Annexure II" to this Report.

### **19. Employees**

There are no employees drawing remuneration in excess of Rs. 5,00,000 per month or Rs. 60,00,000 per annum. The details of the remuneration paid to the Functional Directors are as stated in the Audited Accounts for the Financial Year 2014-15.

Further, the Board of Directors hereby state that the Company has not received any complaints under "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2011" during the Financial Year under review.

### **20. Directors Responsibility Statement**

The Directors hereby state that:

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) The directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

**21. अभिस्वीकृतियाँ**

निदेशक मंडल ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा विनियामक प्राधिकरण को उनके समर्थन हेतु इसकी कृतज्ञता दिखाई है। मंडल ने इसके साहूकारों, तथा अन्य को उनके समर्थन और सहयोग हेतु भी इसकी कृतज्ञता दिखाई है।

निदेशक मंडल के लिए तथा के स्थान पर  
मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

स्थान : मुंबई

तिथि:

अध्यक्ष





## 21. Acknowledgments

The Board of Directors place on record its gratitude to the Government of India, Government of Maharashtra and regulatory authorities for their support. The Board also places on record its sincere gratitude to its bankers, and others for their support and co-operation.

For & on behalf of the Board of Directors  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited

Place: Delhi  
Date: 18/08/2015

CHAIRMAN

निदेशक रिपोर्ट का अनुसंगनक ।

**फॉर्म संख्या ए.ओ.सी.-2**

(अधिनियम की धारा (134) की उप धारा (3) के खंड (ज) तथा कंपनी (लेखा)नियमावली, 2014 के नियम (82) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा(1) के संदर्भ में तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत निश्चित सम स्तरीय कार्य सम्पादन कंपनी द्वारा संबन्धित पार्टियों के साथ करार किए गए ठेका/व्यवस्थापन के विवरण के प्रकटीकरण हेतु फॉर्म

**1. विषम स्तरीय आधार पर ठेका या व्यवस्थापन या कार्य सम्पादन का विवरण :**

- क) संबन्धित पार्टी का नाम या संबंधी की प्रकृति : निरंक
- ख) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की प्रकृति : निरंक
- ग) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की अवधि : निरंक
- घ) कीमत को समावेशित करते हुए ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की मुख्य शर्तें : निरंक
- ङ) इस प्रकार के ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन में प्रवेश करने हेतु स्पष्टीकरण : निरंक
- च) बोर्ड के अनुमोदन की तिथि(तिथियाँ) : निरंक
- छ) धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव के पारित करने की तिथि: निरंक

**2. सम स्तरीय आधार पर ठेका या व्यवस्थापन या कार्य सम्पादन का विवरण :**

- क) संबन्धित पार्टी का नाम या संबंधी की प्रकृति : निरंक
- ख) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की प्रकृति : निरंक
- ग) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की अवधि : निरंक
- घ) कीमत को समावेशित करते हुए ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की मुख्य शर्तें : निरंक
- ङ) इस प्रकार के ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन में प्रवेश करने हेतु स्पष्टीकरण : निरंक
- च) बोर्ड के अनुमोदन की तिथि(तिथियाँ) : निरंक

निदेशक मंडल के लिए तथा के स्थान पर  
मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

स्थान:

तिथि:

अध्यक्ष

**Annexure I to the Directors Report**

**Form No. AOC-2**

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

**1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:**

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship: NIL
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions: NIL
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions: NIL
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: NIL
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions: NIL
- (f) Date(s) of approval by the Board: NIL
- (g) Amount paid as advances, if any: NIL
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first provision to section 188: NIL

**2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:**

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship: NIL
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions: NIL
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions: NIL
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: NIL
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any: NIL
- (f) Amount paid as advances, if any: NIL

For, and on behalf of the Board of Directors  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited

  
CHAIRMAN

Place: Delhi  
Date: 18/08/2015

फॉर्म संख्या एम.जी.टी. 9
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण
31.03.2014 को समाप्त वित्त वर्ष तक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 82(3) तथा कंपनी(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

i	निगम पहचान संख्या	U60100MH20085GC181770
ii	पंजीकरणकी तिथि	
iii	कंपनी का नाम	मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित
iv	कंपनी का वर्ग/उप वर्ग	कंपनी शेयर द्वारा मर्यादित
V	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क विवरण	एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, प्लॉट नं सी-14-15, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051
vi	क्या कंपनी अधिसूचित है	लागू नहीं
vii	रजिस्ट्रार व ट्रांसफर दलाल, यदि कोई, का नाम, पता व संपर्क विवरण	लागू नहीं

II कंपनी की मुख्य व्यवसाय क्रियाकलाप

कंपनी की कुल बिक्री का 10% या इससे अधिक योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों का वर्णन किया जाना चाहिए

क्रम सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी का कुल बिक्री का प्रतिशत
1			
2			
3			
4			

FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on financial year ended on 31.03.2014
Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I REGISTRATION & OTHER DETAILS:

i	CIN	U60100MH2008SGC181770
ii	Registration Date	181770
iii	Name of the Company	MITRABATI METRO RAIL CORPORATION LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARES
v	Address of the Registered office & contact details	MMRDA BUILDING, PLOT NO C- 14 - 15, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI-400051
vi	Whether listed company	N.A
vii	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	N.A

II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated

Sl No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1			
2			
3			
4			

III धारित, सहायक एवं सहयोगी कंपनी का ब्यौरा

क्रम सं	कंपनी का नाम व पता	सी.आई.एन/ जी.एल.एन.	धारित/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	लागू नहीं				
2					
3					

III PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES

Sl No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1	N.A				
2					
3					

IV शेयरधारण प्रतिरूप(कुल इक्विटी की इक्विटी शेयर पूंजी का की प्रतिशता के अनुसार अलग-अलग ब्यौरा )

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार									
(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार		5000	5000	100%		5000	5000	100%	
(ग) निकाय निगम									
(घ) बैंक/विदेशी निवेशक									
(ङ) कोई अन्य									
उप कुल : (क)(1)		5000	5000	100%		5000	5000	100%	
(2) विदेशी									
(क) अनिवासी भारतीय-व्यक्ति									
(ख) अन्य व्यक्ति									
(ग) निकाय निगम									
(घ) बैंक/विदेशी निवेशक									
(ङ) कोई अन्य									
उप कुल: (क)(2)									
प्रवर्तकों का कुल हिस्सा (क)= (क)(1)+ (क)(2)		5000	5000	100%		5000	5000	100%	
ख. सार्वजनिक हिस्सा									
(1) संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड									
(ख) बैंक/विदेशी निवेशक									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ङ) वैचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियाँ									
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक									
(ज) विदेशी वैचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य (स्पष्ट करें)									
उप कुल (ख)(1):									



Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares		
<b>A. Promoters</b>										
(1) Indian										
a) Individual/HUF										
b) Central Govt. or State-Govt.		5000	5000	100%		5000	5000	100%		
c) Bodies Corporates										
d) Bank/FI										
e) Any other										
<b>SUB TOTAL:(A) (1)</b>		5000	5000	100%		5000	5000	100%		
Foreign										
a) NRI- Individuals										
b) Other Individuals										
c) Bodies Corp.										
d) Banks/FI										
e) Any other...										
<b>SUB TOTAL (A) (2)</b>										
<b>Total Shareholding of Promoter</b>										
<b>(A)= (A)(1)+(A)(2)</b>		5000	5000	100%		5000	5000	100%		
<b>B. PUBLIC SHAREHOLDING</b>										
(1) Institutions										
a) Mutual Funds										
b) Banks/FI										
c) Central govt										
d) State Govt.										
e) Venture Capital Fund										
f) Insurance Companies										
g) FIIS										
h) Foreign Venture Capital Funds										
i) Others (specify)										
<b>SUB TOTAL (B)(1):</b>										

(2) गैर संस्थापक										
क) निकाय निगम										
i) भारतीय										
ii) विदेशी										
ख) व्यक्ति										
i) रु 1 लाख तक नाममात्र शेयर पूंजी धरण करने वाले व्यक्ति शेयरधारक										
ii) रु 1 लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी धरण करने वाले व्यक्ति शेयरधारक										
ग) अन्य (स्पष्ट करें)										
उप कुल (ख)(2):										
क) जी.डी.आर & ए.डी.आर. के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर										
कुल (क+ख+ग)		5000	5000	100%		5000	5000	100%		

<b>(2) Non Institutions</b>										
a) Bodies corporates										
i) Indian										
ii) Overseas										
b) Individuals										
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs										
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs										
c) Others (specify)										
<b>SUB TOTAL (B)(2):</b>										
<b>Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)</b>										
<b>L. Shares held by Custodian for GDRs &amp; ADRs</b>										
<b>Grand Total (A+B+C)</b>		5000	5000	100%		5000	5000	100%		

ii) प्रवर्तकों की हिस्सेदारी

क्रम सं	शयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में प्रतिशत बदलाव
		शयरों की संख्या	कुल शयरों की प्रतिशतता	वचनबद्ध शयरों की संख्या	शयरों की संख्या	कंपनी के कुल शयरों की प्रतिशतता	कुल शयरों के वचनबद्ध भारग्रस्त शयरों की प्रतिशतता	
1	मेट्रोपॉलिट न क्षेत्र विक्रस प्राधिकरण	5000	100		5000	100		लागू नहीं
2								
3								
4								
	कुल	5000	100		5000	100		

(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTERS

Sl No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		NO of shares	% of total shares of the	% of shares pledged	NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
	Metropolitan Regional Development Authority	5000	100		5000	100		
1								
2								NA
3								
4								
	Total	5000	100		5000	100		

(iii) प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में बदलाव (यदि कोई बदलाव नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्रम सं	वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारम्भ में			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी			
	वर्ष के अंत में			

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING ( SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE)

Sl. No.	Share holding at the beginning of the Year	Cumulative Share holding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company
	No. of Share: % of total shares of the		
	At the beginning of the year		
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)		
	At the end of the year		

iv) मुख्य 10 शेयरधारकों(निदेशक,प्रवर्तक और जी.डी.आर. व ए.डी.आर. धारकों के अलावा) का हिस्सेदारी प्रतिरूप

क्रम सं.	वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	मुख्य 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए			
	वर्ष के प्रारम्भ में			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी			
	वर्ष के अंत में(या पृथक्कता की तिथि के समय, यदि वर्ष के दौरान पृथक हों तो)			



(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs)

Sl. No	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the end of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)				
	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंत में				

(v) Shareholding of Directors & KMP

Sl. No	Shareholding at the end of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors & KMP	No. of shares	No of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year			
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)			
	At the end of the year			

V ऋणग्रस्तता

भुगतान हेतु अदेय बकाया/प्रोद्भूत ब्याज को सम्मिलित करते हुए कंपनी की ऋणग्रस्तता					
	सुरक्षित लोन	असुरक्षित लोन	जमा	कुल ऋणग्रस्तता	
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता					
i) मूलधन		819242072		819242072	
ii) देय किन्तु अदत्त ब्याज					
iii) अदेय प्रोदभूत ब्याज					
कुल (i+ii+iii)		819242072		819242072	
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव वृद्धि					
घटाव					
शुद्ध बदलाव					
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में बदलाव					
i) मूलधन					
ii) देय किन्तु अदत्त ब्याज					
iii) अदेय प्रोदभूत ब्याज					
कुल (i+ii+iii)					

V INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment	Secured Loans	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount		819242072		819242072
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
<b>Total (i+ii+iii)</b>		819242072		819242072
Change in Indebtedness during the financial year				
Additions				
Reduction				
<b>Net Change</b>				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
<b>Total (i+ii+iii)</b>				

VI निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक  
क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या निदेशक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक/निदेशक का नाम			कुल राशि
1	सकल वेतन	श्रीमती अश्विनी भिड़े	श्री सुबोध कुमार गुप्ता	श्री अजय कुमार भट्ट	
	क) आय कर, 1961 की धारा 17(1) में दर्शाये प्रावधानों के अनुसार वेतन	452091	507065	321436	1280592
	ख) आय कर, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों की कीमत				
	ग) आय कर, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ				
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी				
4	कमीशन				
	लाभ का प्रतिशत				
	अन्य (स्पष्ट करें)				
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	कुल(क)				1280592
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा				

VI REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of the MD/WTD/Manager			Total Amount
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax, 1961.	Ms. Ashwini Bhide	Mr. Subodh Kumar Gupta	Mr. Ajaykumar Bhatt	
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	452091	507065	321436	1280592
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock option				
3	Sweat Equity				
4	Commission				
	as % of profit				
	others (specify)				
5	Others, please specify				
	Total (A)				1280592
	Ceiling as per the Act				

ख: प्रबंध निदेशक/निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				कुल	
	सकल वेतन		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल	कुल	
1	क) आय कर, 1961 की धारा 17(1) में दर्शाये प्रावधानों के अनुसार वेतन				87806		87806	
	ख) आय कर, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों की कीमत							
	ग) आय कर, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ							
2	स्टॉक विकल्प							
3	स्वेट इक्विटी							
4	कमीशन							
	लाभ का प्रतिशत							
	अन्य (स्पष्ट करें)							
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें							
	कुल				87806		87806	



(b) REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration		Key Managerial Personnel				Total
	Gross Salary		CEO	Company Secretary	CFO	Total	
1	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.				87806	87806	
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961						
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961						
2	Stock Option						
3	Sweat Equity						
4	Commission as % of profit others, specify						
5	Others, please specify						
	Total				87806	87806	

VII जुर्माना/दंड/अपराधों का मिश्रण

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	सारांश	जुर्माना/दंड/अधिरूपित फीस का विवरण	प्राधिकार(आर.डी./एन. सी.एल.टी./न्याय)	की गई अपील, यदि कोई, (विवरण दें)
<b>क. कंपनी</b>					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					
<b>ख. निदेशक</b>					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					
<b>ग. चूक में शामिल अन्य अधिकारी</b>					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					

VII PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/Court)	Appeal made if any (give details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

Place: Delhi  
Date: 18/08/2015

CHAIRMAN-

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष की 18 अगस्त 2015 को हस्ताक्षरित निदेशक रिपोर्ट की परिशिष्ट

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर दिनांक 10 फरवरी 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं ।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियों के अनुसंलग्नक की क्रम सं	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	लेखापरीक्षा समिति का जवाब
1.	<p><u>क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी</u></p> <p>तुलन पत्र</p> <p>चालू दायित्व : 82.22/- करोड़ रुपए</p> <p>व्यापार देय (नोट-6) : 0.26/- करोड़ रुपए</p> <p>1. फरवरी तथा मार्च 2015 माह के विज्ञापन एवं नियुक्ति पर किया गया व्यय, जिसका ना तो भुगतान किया गया है और ना ही प्रावधान किया गया है, रु 10.52/- लाख को उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप चालू दायित्व व नुकसान को कम बताया गया है।</p>	<p>नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं।</p> <p>इस संबंध में यह नोट किया गया है कि वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2015 का 8.99 लाख रुपए का बिल दिनांक 19 मई 2015 को तथा 1.53 लाख रुपए का बिल अप्रैल 2015 माह में प्राप्त किया गया था । आवश्यक समायोजन प्रविष्टि वर्ष 2015-16 के लेखों में पारित कर दी जाएगी।</p> <p>भविष्य में हमारे प्रावधानों के सटीक बनाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। दर्शाई गई राशि वर्ष 2014-15 के लेखों के सत्य एवं स्पष्ट प्रस्तुतिकरण पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है ।</p>

**Addendum to the Director Report for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2015 Signed on 18<sup>th</sup> August, 2015**

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNT OF THE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

The comptroller and Auditor General of India (C&AG) by their Audit Report dated 10<sup>th</sup> February 2016, has given some comments under section 134 of the Companies Act, 2013 on the account of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015

Sr. No. in Annexure of C&AG Comments	Comments of Auditor	Reply by the Audit Committee
1.	<p><b><u>A. COMMENTS ON FINANCIAL POSITION.</u></b></p> <p>Balance Sheet            Current Liabilities. Rs. 82.22/- crore            Trade Payable (Note-6):Rs. 0.26/- crore</p> <p>1. The above does not include Rs. 10.52 lakh on account of advertising and hiring charges for the month of February and March 2015 which were neither paid nor provided for. This has resulted in understatement of Current Liability and Loss by Rs.10.52 lakh.</p>	<p>Comments of the CAG are noted.</p> <p>In this regard it is to be noted that the bill dated 28<sup>th</sup> March 2015 amounting Rs.8.99 Lakh was received by the Finance department on 19<sup>th</sup> May 2015 &amp; the bill amounting Rs 1.53 Lakh was received by the Finance department in April 2015. Necessary adjustment entry will be passed in the account for the FY 2015-16.</p> <p>We are putting in place processes to reflect our provisions more accurately in the future. The amounts involved are not substantial to materially affect the true and fair presentation of the accounts of FY 2014-15.</p>

<p>2.</p>	<p><u>ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ:</u></p> <p>वित्तीय विवरणों का रूप में तैयार नोट्स</p> <p>2. वित्तीय विवरणों का रूप में तैयार नोट्स में कुछ कमी पाई गई है:</p> <p>क) कंपनी मेट्रो लाइन -3 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व(50:50)विशेष उद्देश्य वाहन में रूपांतरित की गई थी। तथा अन्य सभी परियोजनाएँ, मेट्रो लाइन - 2 को शामिल करते हुए, एम एम आर डी ए को स्थानांतरित कर दी गई थी। कंपनी के निदेशक मंडल के (अगस्त 2014) के निर्णय के अनुसार उपरोक्त में इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया था।</p> <p>ख) इसमें इस तथ्य को भी शामिल नहीं किया गया है कि कंपनी ने 7.59 करोड़ रुपए कार्य में प्रयोग पूंजी के तहत एम एम आर डी ए( महाराष्ट्र सरकार की दूसरी अभिकरण) को वापिस किया है क्योंकि कंपनी को अगस्त 2014 से अन्य सभी परियोजनाओं को एम एम आर डी ए को स्थानांतरित करने के उपरांत केवल मेट्रो लाइन-3 का कार्यभार देखना था।</p>	<p>हालांकि निदेशक मंडल ने अगस्त 2014 में संयुक्त उद्यम की मंजूरी दी थी, वर्ष 2014-15 में मुंबई मेट्रो रेल निगम के शेयरधारण प्रतिरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया था । कोई नए शेयर जारी नहीं किए गए थे और ना ही किसी नए शेयरधारक को प्रवेश दिया गया था । इसलिए यह लेखों के नोट्स में दिखाया नहीं गया है।</p> <p>टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं।</p> <p>वित्तीय विवरण एक नोट 9 में एम एम आर डी ए को दिया गया पत्रोतर दिखाया गया है: कार्य में प्रयोग की जा रही पूंजी । भविष्य में किए गए पत्रोतर का विवरण लेखों के नोट्स में दर्शाया जाएगा।</p>
-----------	---	---

निदेशक मंडल के लिए व उनके स्थान पर

स्थान: मुंबई  
तिथि :

अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक

अजय कुमार भट्ट  
निदेशक

2.	<p><b>B. <u>COMMENTS ON DISCLOSURE</u></b></p> <p><b>Notes forming Part of the Financial Statements</b></p> <p>2. Notes forming part of Accounts are deficient to the extent that;</p> <p>(a) The above does not include the fact as per the decision (August 2014) of Board of Director of the Company , the Company was transformed into a joint ownership (50:50) Special Purpose Vehicle of Government of India (GoI) and Government of Maharashtra (GoM) for implementation of Metro Line-3 and that all other projects including Metro Line-2 were transferred to MMRDA.</p> <p>(b) It also does not include the fact that the Company had written back an amount of Rs. 7.59 crore accounted under Capital Work in Progress to MMRDA (another GoM agency), since the Company w.e.f. August 2014 had to implement only Metro Line-3 transferring all other projects to MMRDA.</p>	<p>While the BOD approved the JV in August 2014, there was no change in the shareholding pattern of MMRC in FY 2014-15. No new shares were issued, nor was any new shareholder inducted. So it is not mentioned in Notes to Accounts.</p> <p>The Comments are noted.</p> <p>The write back to MMRDA was show in the Note 9 of the Financial Statement: Capital Work in Progress. Any future Write Back will be mentioned in the Notes to Account.</p>
----	---	---

For and on behalf of the Board of Directors

Ashwini Bhide  
Managing Director

Ajay Kumar Bhatt  
Director

Place: Mumbai  
Date:

# मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

लेखापरीक्षा रिपोर्ट  
वर्ष 2014-15

सांविधिक लेखापरीक्षक  
ए.वी.अरोलकर एंड कंपनी  
चार्टर लेखाकार



**MUMBAI METRO RAIL  
CORPORATION LIMITED**

**AUDIT REPORT  
FOR THE  
FY: 2014 -2015**

**STATUTORY AUDITORS  
A.V.AROLKAR & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS**

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

### 1. वित्तीय विवरण रिपोर्ट

हम ने मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित(कंपनी) के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2015 तक का तुलन पत्र, महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना को शामिल किया गया है, का लेखापरीक्षण किया है।

### 2. वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में विवरणित मामलों के लिए उन एकाएक वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण करना कंपनी के निर्देशक बोर्ड की जिम्मेवारी है जो भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों को शामिल करते हुए, के अनुसार वित्तीय विवरण, वित्तीय निष्पादन तथा कंपनी के नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएँ को रोकने एवं पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग करने, जो उचित एवं तर्कपूर्ण है उसका निर्णय लेने तथा अनुमान लगाने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रूपांकन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करने के लिए पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड का रख-रखाव करने का भी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले तथा जो चाहे किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी भौतिक गलत ब्यान से मुक्त हैं, ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुती हेतु जो लेखा रेकॉर्ड की यथार्थता एवं परिपूर्णता को प्रभाव पूर्ण सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे थे, का उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना।



**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

To  
The Members of  
M/s. Mumbai Metro Rail Corporation Limited.

**1. Report on the Financial Statements**

We have audited the accompanying standalone financial statements of M/s. Mumbai Metro Rail Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, the Statement of Profit and Loss and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**2. Management's Responsibility for the Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### 3. लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन एकाएक वित्तीय विवरणों पर सुझाव देना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निहित नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन मामलों को शामिल करना अपेक्षित है, को शामिल किया है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) में निहित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा का आयोजन किया था। उन मानकों की जरूरत है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत ब्यान से मुक्त है या नहीं का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की व्यवस्था तथा निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में राशि तथा वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना होता है। प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है जैसे वित्तीय विवरण के विस्तृत कथनों में कमी, चाहे वह धोखाधड़ी से किया गया हो या गलती से, का जोखिम निर्धारण करना। जोखिम निर्धारण करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सही समझता है इसलिए नहीं की वह अपना सुझाव देना चाहता है क्या कंपनी वित्तीय रैपोर्टिंग के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है या नहीं तथा उन नियंत्रणों का कितना प्रभाव है बल्कि इसलिए की वे परिस्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी निदेशकों द्वारा बनाए लेखा अनुमानों का औचित्य का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों का पूरी तरह मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह पर्याप्त है तथा एकाएक वित्तीय विवरण पर हमारे लेखापरीक्षा सुझाव देने का आधार बताने के लिए उचित हैं।

### 4. सुझाव

हमारे सुझाव में तथा हमारी सूचना तथा हमें प्रदान की गई व्याख्यानों के अनुसार, उपरोक्त एकाएक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित एवं निर्धारित तरीके में सूचना प्रदान करती है तथा भारत में समान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में 31 मार्च 2015 तक के कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा वर्ष के उक्त तिथि तक इसकी हानि व इसकी नकदी प्रवाह का सत्य व निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है।

### 3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

### 4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2015, its loss and its cash flows for the year ended on that date.

5. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी (आदेश) कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 द्वारा अपेक्षित, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण, जहां तक उचित है, अनुसंलग्नक-I में दी जा रही है।

2. कंपनी के रिकॉर्ड की जांच पर आधारित तथा हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं पर आधारित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों की रिपोर्ट अनुसंलग्नक-II में दी जा रही है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित, हम रिपोर्ट किया जाता है कि:

(क) हमारी लेखापरीक्षा से संबन्धित अत्यंत उपयोगी एवं विश्वसनीय सभी सूचना एवं व्याख्यान लिए हैं तथा प्राप्त किए हैं।

(ख) हमारे विचार में, उन बही खातों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि विधि के अनुपालन में, कंपनी द्वारा लेखों के बही खाते उचित स्थान पर रखे हुए हैं।

(ग) इस रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में ली गई तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के करार के अनुरूप हैं।

(घ) हमारे विचार में, उपर्युक्त एकाएक वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा)नियमावली, 2014 के नियम 7 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ङ) 31 मार्च 2015 तक निदेशक बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड किए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित/लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) की धारा के अनुसार,

31 मार्च 2015 तक भी निदेशक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं हैं: तथा

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए व्याख्याओं के अनुसार:

**5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure I, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable
2. Based on the verification of Records of the Company and based on information and explanations given to us, we give in Annexure II, a report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Companies Act, 2013.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
  - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
  - (c) The balance sheet, the statement of profit and loss and the cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
  - (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
  - (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act; and
  - (f) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- क. कंपनी कीकोई बकाया मुकदमेबाजी नहीं है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव हो।
- ख. कंपनी का, संजात संविदा को शामिल करते हुए, कोई लंबी अवधि संविदा नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभास नुकसान हो।
- ग. कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा व बचाव कोष में कोई राशि अंतरण हेतु शेष नहीं थी।

ए.वी.एरोलकर एंड कंपनी.  
चार्टरित लेखाकार  
फ़र्म पंजीकरण सं 100542 W.

अभय वी. एरोलकर  
सांझेदार  
मैम्बरशिप सं 32453  
स्थान



JA

**A.V. Arolkar & Co.**  
Chartered Accountants

- a. The Company does not have any pending litigations which would be impact its financial position;
- b. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.
- c. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For A.V. Arolkar & Co.,  
Chartered Accountants,  
Firm Regn. No.: 100542W.



Vasant Arolkar  
Membership No.: 32453.  
Place: Mumbai.  
Date: 12/18/13

## अनुसंलग्नक 1. स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की एकाएक वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षाक रिपोर्ट में संदर्भित अनुसंलग्नक के संबंध में, यह रिपोर्ट किया जाता है कि:

(i) (क) कंपनी ने पूर्ण विवरण, परिमाणात्मक विवरण तथा स्थायी संपत्ति की स्थिति को शामिल करते हुए, दर्शाता उचित रेकॉर्ड रखा हुआ है।

(ख) इसकी स्थायी संपत्ति की वास्तविक जांच हेतु कंपनी का नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से स्थायी संपत्ति की जांच की जाती है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ स्थायी सम्पत्तियों की जांच की गई थी तथा इस जांच के दौरान किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं पाई गई थी। हमारे विचार में, कंपनी के आकार तथा इसकी सम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जांच की अवधि का समय तर्कपूर्ण है।

(ii) कंपनी के पास कोई भौतिक माल सूची नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(ii) लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में दी गई कंपनी, प्रतिष्ठान या अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का, सुरक्षित या असुरक्षित, ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) व (ख) कंपनी के लिए लागू नहीं हैं इसलिए उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है।

(iv) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार तथा हमारे विचार में, कंपनी के आकार तथा स्थायी संपत्ति की खरीदी व अन्य गतिविधि के संबंध में व्यापार की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी के क्रियाकलापों में माल सूची की खरीदी तथा वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री शामिल नहीं होती। लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हमें किसी भी प्रकार की गंभीर कमजोरी नहीं मिली।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

(vi) अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी की किसी गतिविधि में लागत रेकॉर्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

**Annexure I to the Independent Auditors' Report**

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31 March 2015, we report that:

- (i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.  
  
(b) The Company has a regular programme of physical verification of its fixed assets by which fixed assets are verified in a phased manner over a period of three years. In accordance with this programme, certain fixed assets were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.
- (ii) The Company does not hold any physical inventories. Thus, paragraph 3(ii) of the Order is not applicable.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the provisions of clause 3(iii)(a) and (b) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business with regard to purchase of fixed assets and other activities. The activities of the Company do not involve purchase of inventory and the sale of goods or services. We have not observed any major weakness in the internal control system during the course of the audit.
- (v) The Company has not accepted any deposits from the public.
- (vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, for any of the activities of the Company.



(vii) (क) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार तथा कंपनी के रेकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बही खातों में अविवादास्पद संवधिक देय जैसे भविष्य निधि, आय कर, पूंजी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, कीमत बढ़ोतरी कर, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देय से संबन्धित कटौती/प्रोदभूत राशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से संबन्धित प्राधिकार को जमा किए गए हैं। जैसा हमें बताया गया, कंपनी का कर्मचारी राज्य बीमा तथा सीमा शुल्क से संबन्धित कोई भी देय शेष नहीं है।

हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च 2015 भविष्य निधि, आय कर, पूंजी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, कीमत बढ़ोतरी कर, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देय से संबन्धित कोई अविवादास्पद राशि देय नियत तिथि से 6 महीने से अधिक समय के लिए बकाया नहीं थे।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, आय कर, सेवा कर, कीमत बढ़ोतरी कर, पूंजी कर, सीमा शुल्क तथा उपकर से संबन्धित कोई वास्तविक देय नहीं है जिनका किसी विवाद के मामले में उचित प्राधिकार को जो जमा नहीं किए गया हो।

हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) तथा इसके अंतर्गत निहित नियमों के प्रावधान के अनुसार, निवेशक शिक्षा तथा बचाव कोष में अंतरण हेतु कोई भी राशि शेष नहीं थी।

(viii) कंपनी ने वित्त वर्ष के अंत में इसकी कुल मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का संचय किया है तथा इस वित्त वर्ष में रु 15542947/- तथा गत वर्ष में रु 4327294/- की नकदी का नुकसान उठाया है।

(ix) कंपनी के पास वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं, बैंक या ऋणपत्र धारक का कोई बकाया नहीं है।

(x) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार तथा हमारे विचार में, कंपनी ने दूसरे द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गाय ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

- (vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, duty of customs, value added tax, cess and other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities. As explained to us, the Company did not have any dues on account of employees' state insurance and duty of excise.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, duty of customs, value added tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at 31 March 2015 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanations given to us, there are no material dues of income tax, sales tax, service tax, value added tax, wealth tax, duty of customs and cess which have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.

According to the information and explanations given to us, there were no amounts which were required to be transferred to the investor education and protection fund in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and rules made thereunder.

- (viii) The Company have an accumulated losses more than fifty percent of its net worth at the end of the financial year and has incurred cash losses of Rs. 1,55,42,947/- in the financial year and Rs. 43,27,294/- in the immediately preceding financial year.
- (ix) The Company did not have any outstanding dues to financial institutions, banks or debenture holders during the year.
- (x) In our opinion and according to the information and the explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.



(xi) कम्पनी के वर्ष के दौरान कोई मियादी कर्ज बकाया नहीं है।

(xii) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी द्वारा किसी प्रकार के भौतिक धोखेबाज़ी न तो पाई गई है ओर न ही रिपोर्ट नहीं दी गई है।

ए.वी.एरोलकर एंड कम्पनी..

चार्टरित लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 100542 W.

अभय वी. एरोलकर

सांझेदार

मैम्बरशिप सं 32453

स्थान.

- (xi) The Company did not have any term loans outstanding during the year.
- (xii) According to the information and explanations given to us, no material fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

For A. V. AROLKAR & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No: 100542 W



Abhay V. Arolkar

Partner

Membership No.: 32453

Place : Mumbai

Date : 17/8/11

**अनुसंलग्नक-II अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट**

(31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल निगम के सदस्य के लिए सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में)

**1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (5) के अंतर्गत निर्देश**

- (1) यदि कंपनी का विनिवेश हेतु चयन किया गया है तो संपत्ति (अस्पर्शी संपत्ति को शामिल करते हुए) तथा दायित्व (समर्पित तथा सामान्य संचय को शामिल करते हुए) के मूल्यांकन की स्थिति दर्शाती पूर्ण रिपोर्ट (माध्यम व विनिवेश प्रक्रिया के वर्तमान स्तर)की जांच की जाए।

हमारे तथ्यों एवं विश्वास तथा हमें प्रदान की है सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी का विनिवेश हेतु चयन नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

- (2) क्या ऋण का अधित्याग/बढ़े खाते डालना/लोन/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है? यदि है तो उस का कारण तथा राशि का विवरण दें।

जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, गत वर्ष में ऋण का अधित्याग/ बढ़े खाते डालना/लोन/ब्याज इत्यादि से संबन्धित मामला नहीं पाया गया है।

- (3) क्या तीसरी पार्टी के पास रखी माल सूची के तथा सरकार या किसी अन्य प्राधिकार से उपहार में मिली संपत्ति के उचित रिकॉर्ड रखे गए हैं?

हमें सूचित किया गया था कि कंपनी की तीसरी पार्टी के पास रखी हुई कोई माल सूची नहीं है। वर्ष के दौरान जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने सरकार या किसी अन्य प्राधिकार से कोई उफार प्राप्त नहीं किया है।

- (4) आयु-अनुसार विश्लेषण/विवाचन मामले, अनिर्णीत मामलों का कारण तथा अस्तित्व/कानूनी मामलों में(विदेशी या स्थानीय)व्यय के लिए अनुवीक्षण तंत्र की प्रभावता दी जाए।

हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी एवं विश्वास में, कंपनी के कोई अनिर्णीत कानूनी/विवाचन मामले नहीं हैं। इसके अलावा हमें बताया गया था कि कानूनी मामलों में किए जाने वाले व्यय का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त अनुवीक्षण तंत्र है।



**Annexure II to the Independent Auditors' Report under Section 143(5) of the Act:**

(Referred to in our report of even date to the members of Mumbai Metro Rail Corporation as at and for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015)

**1. Directions under sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act, 2013**

- (1) If the Company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of valuation of Assets (including intangible asset and) and Liabilities (including committed & general Reserves) may be examined, including the mode and present stage of disinvestment process.

To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, the Company has not been selected for disinvestment and hence reporting on this direction does not arise.

- (2) Report whether there are any cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc., if yes, the reason there for and the amount involved.

Based on the records examined there are no cases of waiver/write off of debts, loans, interest, etc. observed during the previous year.

- (3) Whether the proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from Government or other authorities.

We were informed that the Company does not hold any inventories lying with third parties.

Further, based on the records examined by us during the year, the Company has not received any gift from Government or other authorities.

- (4) A report on age-wise analysis / arbitration cases, including the reasons of pendency and existence / effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on all legal cases (foreign and local) may be given.

To the best of our knowledge and belief, the Company did not have any pending legal/ arbitration cases. Further we were informed that the Company has in place an adequate monitoring mechanism for tracking expenditure on legal cases.



2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सैक्टरनुसार उप -निर्देश
- (5) क्या कंपनी में इसकी खाली पड़ी भूमि के अधिक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मापदंड लिए हैं? क्या कंपनी की किसी भूमि का किसी विधिक या प्रयोग में न होने के कारण या अधिशेष घोषित होने के कारण अधिक्रमण हुआ है?
- हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी एवं विश्वास में तथा कंपनी द्वारा दी गई सूचना एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी की कोई अपनी जमीन नहीं है। अतः खाली पड़ी भूमि के अधिक्रमण से संबन्धित कोई मामला नहीं उठता।
- (6) क्या लोक निजी सांझेदारी के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स की पहचान हेतु प्रचलन में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली सरकार के दिशा-निर्देशों/मितियों के अनुरूप है?
- जांच किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी द्वारा लोक निजी सांझेदारी के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया गया है।
- (7) क्या कार्य निष्पादन हेतु अनुवीक्षण प्रणाली अर्थात् करार में अनुबंधित महत्वपूर्ण घटना तथा लागत में बढ़ोतरी का प्रभाव यदि कोई राजस्व/संविदा से नुकसान, इत्यादि, को भलीभाँति बही खातों में शामिल कर लिया गया है?
- हमें सूचित किया गया था कि कंपनी की कार्य निष्पादन हेतु अनुवीक्षण प्रणाली है अर्थात् करार में अनुबंधित महत्वपूर्ण घटना तथा लागत में बढ़ोतरी का प्रभाव बही खातों में ले लिया गया है।
- (8) क्या केंद्र/राज्य अभिकरण से विशेष योजनाओं हेतु प्राप्त/प्राप्य राशि का उचित लेखा-झोखा/प्रयोग किया गया है?
- हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण से राशि प्राप्त की है तथा यह पाया गया है कि इस राशि का उचित लेखाजोखा किया गया है तथा प्रयोग किया गया है।
- (9) क्या बैंक गारंटी का समय पर पुनः वैधीकरण किया गया है?
- हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड से एकत्रित सूचना व व्याख्यान के अनुसार, कंपनी ने आवश्यकतानुसार समय पर बैंक गारंटी का पुनः वैधीकरण किया है।

ए.वी.एरोलकर एंड कंपनी..

चार्टरित लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 100542 W.

अभय वी. एरोलकर

सांझेदार

मैम्बरशिप सं 32453

स्थान: मुंबई

तिथि:

2. Sector-specific sub-directions as per Section 143 of the Companies Act, 2013

- (5) Whether the Company has taken adequate measures to prevent encroachment of idle land owned by it. Whether any land of the company is encroached, under litigation, not put to use or declared surplus.

To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us the company does not own any land. Hence, the case of encroachment of any idle land does not arise.

- (6) Whether the system in vogue for identification of projects to be taken up under Public Private Partnership is in the line with the guidelines / policies of the Government.

Based on the records examined there were no projects which were taken by the company under Public Private Partnership.

- (7) Whether system for monitoring the execution of works vis-à-vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any, revenue/losses from contracts, etc., have properly accounted for in the books.

We were informed that the Company has the monitoring system for the execution of works vis-à-vis the milestones stipulated in the agreements and the impact of cost escalation have been properly accounted for in the books.

- (8) Whether funds received/receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for / utilized.

Based on the records examined by us, the Company have received funds from Mumbai Metropolitan Region Development Authority and it has been observed that they are properly accounted and utilized.

- (9) Whether the bank guarantees have been revalidated in time.

On the bases of our audit procedures performed by us and as per the information and explanation gathered on the records examined by us, the Company have, wherever necessary, revalidated the bank guarantees in time.

For A. V. AROLKAR & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No: 100542 W



Ashley Vasudeo Arolkar

Partner

Membership No.: 32453

Place : Mumbai

Date :

**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**31 मार्च 2015 तक का तुलन पत्र**

(राशि रुपयों में)

	विवरण	नोट	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
क	इक्विटी तथा देनदारी			
	1 शेयरधारकों की राशि			
	(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
	(ख) संरक्षित एवं अतिशेष	4	(54,086,601)	(7,346,018)
			(53,586,601)	(6,846,018)
	2 अप्रचलित देनदारी		-	-
	3 चालू देनदारी			
	(क) अल्पावधि उधारी	5	819,242,072	643,333,756
	(ख) व्यापार देय	6	2,597,482	199,655
	(ग) अन्य चालू देनदारी	7	379,090	17,851
		822,218,644	643,551,262	
	कुल		768,632,043	636,705,244
ख	परिसंपत्तियां			
	1 अप्रचलित परिसंपत्तियाँ			
	(क) स्थायी संपत्तियाँ			
	(i) मूर्त संपत्तियाँ	8	5,823,727	138,024
	(ii) कार्यगत पूंजी	9	677,277,380	579,243,298
			683,101,107	579,381,502
	2 चालू परिसंपत्तियाँ			
	(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	83,415,454	55,044,458
	(ख) अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	11	356,829	16,000
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	1,758,653	2,263,284
		85,530,936	57,323,742	
	कुल		768,632,043	636,705,244
	संलग्न वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार नोट्स को देखें			

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।  
ए.वी.एरोलकर एंड कंपनी..

चार्टरित लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 100542 W.

अभय वी. एरोलकर

सांझेदार

मैम्बरशिप सं 32453

स्थान:

मुंबई

बोर्ड निदेशक के लिए तथा के स्थान पर

अश्विनी भिड़े

ए.ए.भट्ट

प्रबंध निदेशक

निदेशक

इंद्रनील सरकार

ऋतु देब

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कंपनी सचिव

**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
**BALANCE-SHEET AS ON 31ST MARCH 2015**

		(Amount in Rs.)		
	Particulars	Note	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
<b>A</b>	<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
	<b>1 Shareholders' funds</b>			
	(a) Share capital	3	500.000	500.000
	(b) Reserves and surplus	4	(54,086.601)	(7,346,018)
			(53,586.601)	(6,846,018)
	<b>2 Non-current liabilities</b>			
	<b>3 Current liabilities</b>			
	(a) Short term Borrowing	5	819,242,072	643,333,756
	(b) Trade payables	6	2,597,482	199,655
	(c) Other Current Liabilities	7	379,090	17,851
			822,218,644	643,551,262
	<b>TOTAL</b>		<b>768,632,043</b>	<b>636,705,244</b>
<b>B</b>	<b>ASSETS</b>			
	<b>1 Non-current assets</b>			
	(a) Fixed assets			
	(i) Tangible assets	8	5,823,727	138,204
	(ii) Capital Work-in-Progress	9	677,277,380	579,243,298
			683,101,107	579,381,502
	<b>2 Current assets</b>			
	(a) Cash and cash equivalents	10	83,415,454	55,044,458
	(b) Short -Term Loan & advances	11	356,829	16,000
	(c) Other current assets	12	1,758,653	2,263,284
			85,530,936	57,323,742
	<b>TOTAL</b>		<b>768,632,043</b>	<b>636,705,244</b>
	See accompanying notes forming part of the financial statements			

In terms of our report attached.  
 For A. V. Arolkar & Co.,  
 Chartered Accountants  
 FIRM - 100542W

**For and on behalf of the Board of Directors**

**A. Arolkar**  
 Chartered Accountants  
 Member No. : 32453

**Ashwini Bhide**  
 Managing Director

**A. A Bhatt**  
 Director

**Indranil Sarkar**  
 Chief Financial Officer

**Ritu Deb**  
 Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 18/8/2015

**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(राशि रुपयों में)

	विवरण	नोट	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
1	प्रचालन से आय		-	-
2	अन्य आय	13	5,232,336	81,545
3	कुल आय (1+2)		5,232,336	81,545
4	व्यय			
	(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	14	4,140,497	-
	(ख) अवमूल्यन तथा परिशोधन व्यय		902,176	34,551
	(ग) अन्य व्यय	15	16,634,786	4,408,839
	कुल व्यय		21,677,459	4,443,390
5	असाधारण मर्दे तथा कर (3 ± 4) से पहले लाभ/हानि		(16,445,123)	(4,361,845)
6	असाधारण मर्दे	16	(30,295,460)	-
7	कर से पहले लाभ/हानि (5 ± 6)		(46,740,583)	(4,361,845)
8	कर व्यय			
	(क) वर्तमान कर व्यय		-	-
	(ख) आस्थगित कर		-	-
	वर्ष के लिए लाभ/हानि (6+ 7)		(46,740,583)	(4,361,845)
9	प्रति इक्विटी शेयर पर आय (प्रत्येक रु 100/-के):			
	(क) मूल		(9348.12)	(872.37)
	(ख) तनूकृत		(9348.12)	(872.37)
	प्रति इक्विटी शेयर पर आय (असाधारण मर्दों को शामिल न करते हुए) (प्रत्येक रु 100/-के):			
	(क) मूल		(3289.02)	(872.37)
	(ख) तनूकृत		(3289.02)	(872.37)
	संलग्न वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार नोट्स को देखें			

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

ए.वी.एरोलकर एंड कंपनी..

चार्टरित लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं 100542 W.

अभय वी. एरोलकर

सांझेदार

मैम्बरशिप सं 32453

स्थान: मुंबई

बोर्ड निदेशक के लिए तथा के स्थान पर

अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक

ए.ए.भट्ट  
निदेशक

इंद्रनील सरकार  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ऋतु देब  
कंपनी सचिव

**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
**STATEMENT OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015**

		(Amount in Rs )		
	Particulars	Note	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
1	Revenue from operations		-	-
2	Other incomes	13	5,232,336	81,545
3	<b>Total revenue (1+2)</b>		<b>5,232,336</b>	<b>81,545</b>
4	Expenses			
	(a) Employee Benefits Expense	14	4,140,497	-
	(b) Depreciation and Amortisation Expense	15	902,176	34,551
	(c) Other expenses		16,634,786	4,408,839
	<b>Total expenses</b>		<b>21,677,459</b>	<b>4,443,390</b>
5	<b>Profit / (Loss) before exceptional items and tax (3 ± 4)</b>		<b>(16,445,123)</b>	<b>(4,361,845)</b>
6	Exceptional items	16	(30,295,460)	-
7	<b>Profit / (Loss) before tax (5 ± 6)</b>		<b>(46,740,583)</b>	<b>(4,361,845)</b>
8	Tax Expense:			
	(a) Current tax expense		-	-
	(c) Deferred tax		-	-
	<b>Profit / (Loss) for the year (6 ± 7)</b>		<b>(46,740,583)</b>	<b>(4,361,845)</b>
9	Earning per equity share (of Rs. 100/- each) :			
	a) Basic		(9,348.12)	(872.37)
	b) Diluted		(9,348.12)	(872.37)
	<b>Earning per equity share( excluding exceptional items) (of Rs.100/- each):</b>			
	a) Basic		(3,289.02)	(872.37)
	b) Diluted		(3,289.02)	(872.37)
	See accompanying notes forming part of the financial statements			

In terms of our report attached.

For A. V. Arolkar & Co.,

Chartered Accountants

FRN : 100542W



Yaswant Arolkar

Partner  
Membership No. : 32453

Place: Mumbai

Date: 18/8/2015

For and on behalf of the Board of Director

Anhwini Bhide  
Managing Director

A. A Bhatt  
Director

Indranil Sarkar  
Chief Financial Officer

Ritu Deb  
Company Secretary

**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/हानि	(16,445,123)	(4,361,845)
समायोजन:		
अवमूल्यन एवं परिशोधन	902,176	34,551
कार्य पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ	(15,542,123)	(4,327,294)
समायोजन :		
अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	(340,829)	(16,000)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	504,631	-
अल्पावधि उधारी	175,908,316	200,765,501
व्यापार देय	2,397,827	116,054
अन्य चालू देनदारी	361,239	17,851
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	163,288,237	196,556,112
असाधारण मदों से नकदी प्रवाह	(30,295,460)	-
(प्रयोग)/प्रचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	132,992,777	196,556,112
(ख) निवेशी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
स्थायी सम्पत्तियों की खरीदी	(6,587,699)	(172,755)
कार्यरत पूंजी में वृद्धि	(98,034,082)	(202,883,120)
(प्रयोग)/निवेशी क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	(104,621,781)	(203,055,875)
(ग) वित्तीयन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
(प्रयोग)/वित्तीयन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (ग)	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य में सुद्ध बदलाव(क+ख+ग)	28,370,996	(6,499,763)
नकदी एवं नकदी समतुल्य का अथ शेष	55,044,458	61,544,221
नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंत शेष	83,415,454	55,044,458

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

बोर्ड निदेशक के लिए तथा के स्थान पर

ए.वी.एरोलकर एंड कंपनी..

चार्टरित लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 100542 W.

अश्विनी मिडे  
प्रबंध निदेशक

ए.ए.भट्ट  
निदेशक

अभय वी. एरोलकर

सांझेदार

मैम्बरशिप सं 32453

स्थान: मुंबई

इंद्रनील सरकार  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ऋतु देब  
कंपनी सचिव



**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2015**

Particulars	(Amount in Rs.)	
	Year ended on 31st March, 2015	Year ended on 31st March, 2014
<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
Profit/(Loss) before Tax	(16,445,123)	(4,361,845)
Adjustments for:		
Depreciation and Amortisation	902,176	34,551
<b>Operating Profit before Working Capital Changes</b>	<b>(15,542,947)</b>	<b>(4,327,294)</b>
Adjustments for:		
Short Term loans and advances	(341,824)	(16,000)
Other current assets	504,651	-
Short Term Borrowings	175,908,316	200,765,501
Trade Payables	2,397,827	116,054
Other Current Liabilities	361,239	17,851
<b>Cash generated from Operations</b>	<b>163,288,237</b>	<b>196,556,112</b>
Cash flow from exceptional items	(30,295,460)	-
<b>Net Cash (used in)/ from Operating Activities (A)</b>	<b>132,992,777</b>	<b>196,556,112</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Purchase of Fixed Assets	(6,587,699)	(172,755)
Increase in Capital Work-in-Progress	(98,034,082)	(202,883,120)
<b>Net Cash (used in)/ from Investing Activities (B)</b>	<b>(104,621,781)</b>	<b>(203,055,875)</b>
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Net Cash (used in)/ from Financing Activities (C)	-	-
<b>Net Change in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)</b>	<b>28,370,996</b>	<b>(6,499,763)</b>
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents	55,044,458	61,544,221
<b>Closing Balance of Cash and Cash Equivalents</b>	<b>83,415,454</b>	<b>55,044,458</b>

In terms of our report attached.  
 For A. V. Arolkar & Co.,  
 Chartered Accountants  
 FRN : 100542W

For and on behalf of the Board of Directors

**Arolkar**  
**Abhishek Arolkar**  
**Partner**  
 Membership No. : 32453  
 Chartered Accountant

**Ashwini Bhide**  
 Managing Director

**A. A Bhatt**  
 Director

**Indranil Sarkar**  
 Chief Financial Officer

**Ritu Deb**  
 Company Secretary

Place: Mumbai  
 Date: 18/8/2015

**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**

**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

नोट	विवरण
1	<p><b>निगमित सूचना</b> मुंबई मेट्रो रेल निगम का निगमीकरण 13 अप्रैल 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी का गठन मुंबई शहर में मेट्रो रेल परियोजना को क्रियान्वित करने के हेतु किया गया। कंपनी को मेट्रो नेटवर्क के उत्तरवर्ती विस्तार, परिचालन, अनुरीक्षण और संबन्धित क्रियाकलापों का भी भार धारणीय प्रचालन के लिए दिया गया है।</p>
2	<p><b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ</b> यह कंपनी राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम में लोक मर्यादित कंपनी है। जिसे कंपनी (लेखा मानक)नियम 2006(यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। कंपनी द्वारा लोक मर्यादित कंपनी के लिए लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।</p>
2.1	<p><b>लेखा के आधार एवं वित्तीय विवरणों का निर्माण</b> कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(1) के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुपालन में भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी) के अनुसार किया गया है जोकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में लागू है। उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के संबन्धित प्रावधानों तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित (लेखा मानक) नियमावली का अनुपालन करती है। वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत प्रोदभूत आधार पर बनाया गया है। वित्तीय विवरणों के निर्माण में गत वर्ष लागू लेखा नीतियों का अनुसरण किया गया है।</p>
2.2	<p><b>प्राक्कलनों का प्रयोग</b> भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुसरण में तैयार की गई वित्तीय विवरण में अपेक्षित है कि प्रबंधन प्रस्तुत परिसंपत्तियों एवं देयताओं का (आकस्मिक देयता सहित) तथा वर्ष के दौरान आय एवं व्यय में प्राक्कलनों एवं अभिग्रहण को धारण करें। प्रबंधन ऐसा मानती है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण तथा तर्कपूर्ण है। भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलनों और वास्तविक परिणाम तथा प्राक्कलनों को जानने/पूर्ण होने की अवधि के अंतर के कारण भिन्न हो सकते हैं। कुछ प्राक्कलनों में दूसरे से भिन्न उच्च स्तरीय निरणय क्षमता अपेक्षित होती है।</p>
2.3	<p><b>अवमूल्यन एवं परिशोधन</b> कंपनी अधिनियम 2013के अधिनियमित होने और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद की अवधि में लागू लेखांकन के फलस्वरूप कंपनी ने अधिसूचि-11 के भाग 'स' में विहित उपयोगी स्थायी परिसंपत्ति एवं कंपनी के उपयोगी परिसंपत्ति के जीवन को पुनः संयोजित किया है, जो भी कम हो। अन्य मामलों में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के चल मूल्यों का अवमूल्यन लिखित अधोमूल्य विधि के अनुसार किया गया है एवं लाभ एवं हानि विवरण में भी इनका पालन किया गया है।</p>
2.4	<p><b>राजस्व मान्यता</b> जमाओं पर ब्याज बकाया राशि और लागू दर पर समय अनुपातिक आधार पर मान्य किया गया है। राजस्व एवं व्यय की मदें जोकि लागू वित्तीय वर्ष में पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में सीधे रूप से संबन्धित है उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।</p>
2.5	<p><b>अन्य आय</b> ब्याज आय की मान्यता बकाया राशि और लागू दर पर समय अनुपातिक आधार पर मान्य किया गया है। अन्य आय को प्रोदभूत आधार पर लेखांकित किया गया है।</p>

# MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of the financial statements

Nöte	Particulars
1	<p><b>Corporate information</b></p> <p>Mumbai Metro Rail Corporation Limited was incorporated on April 13, 2008, under the Companies Act, 1956 and is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. The Company was set up to implement the Metro Rail Project in Mumbai city. The company is also entrusted with the tasks of subsequent expansion of the Metro network, its operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations.</p>
2	<p><b>Significant accounting policies</b></p> <p>The Company is a Public Limited Company incorporated with a joint venture of State and Central Government and as defined in the General Instructions in respect of Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended). Accordingly, the Company has complied with the Accounting Standards as applicable to a public sector company.</p>
2.1	<p><b>Basis of accounting and preparation of financial statements</b></p> <p>The financial statements of the Company are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under Section 2(1) of the Companies Act, 2013 which continues to be applicable in respect of section 133 of the Companies Act, 2013. The said financial statements comply with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and as notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.</p>
2.2	<p><b>Use of estimates</b></p> <p>The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise. Some of the estimations require higher degrees of judgment to be applied than others.</p>
2.3	<p><b>Depreciation and amortisation</b></p> <p>Consequent to the enactment of the Companies Act, 2013 (the Act) and its applicability for accounting periods commencing on or after 1st April, 2014, the Company has re-worked depreciation with reference to the useful lives of fixed assets prescribed in PART 'C' of Schedule II to the Act or the useful lives of assets as estimated by the Company, whichever is lower. In other cases, the carrying values have been depreciated over the remaining useful lives of th assets using written down value method and the same is recognised in the Statement of Profit and Loss.</p>
2.4	<p><b>Revenue recognition</b></p> <p>Interest on deposit is recognized on time proportion basis taking into account the outstanding amount and the rate applicable</p> <p>Items of revenue and expenditure incurred in the current financial year that are not directly related to creation of a Capital asset is charged off a revenue expenditure in the Statement of Profit and Loss.</p>
2.5	<p><b>Other income</b></p> <p>Interest income is recognized on time proportion basis taking into account the outstanding amount and the rate applicable. Other income is accounted on accrual basis.</p>



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**

**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

**नोट -2 विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ**

नोट	विवरण
2.6	<p><b>वास्तविक स्थायी परिसंपत्ति/अवास्तविक परिसंपत्ति/कार्यगत पूंजी</b></p> <p>स्थायी परिसंपत्ति की गणना जमा अवमूल्यन एवं अपसामान्य हानि की लागत से कम पर की गई है। यदि कोई हो, मशीनी कलपुर्ज जिनका प्रयोग केवल स्थायी परिसंपत्ति के मर्दों के आधार और जिनका प्रयोग अनियमित रूप से अपेक्षित है को पूंजीगत किया गया है तथा संबन्धित परिसंपत्ति के मुख्य मर्दों के जीवन अवमूल्यन पर किया गया है। स्थायी परिसंपत्ति से संबन्धित बाद के व्यय की पूंजीगतता केवल वही व्यय परिणाम जो भविष्य के लाभ को बढ़ाते हैं जोकि परिसंपत्ति के पूर्व के मानक निष्पादन से कम हों।</p> <p>तुलन पत्र में परिसंपत्ति जो विनिर्माण के अंतर्गत हैं उसे कार्यगत पूंजी(सी.डब्ल्यू.आई.पी) के रूप में दर्शाया गया है। विनिर्माण क्रियाकलाप से संबन्धित कंसल्टेंसी प्रभार सहित व्यय को पूंजीगत किया गया है। सभी व्यय जोकि परियोजना के विभिन्न उपदानों से सीधा संबन्धित हैं, कार्यगत पूंजी के रूप में पूंजीगत किया गया है। सामान्य व्यय जोकि विनिर्माण क्रियाकलाप से सीधे संबन्धित हैं लेकिन कार्य के एक उपदानों से अधिक से संबन्धित हैं उन्हें कार्यगत पूंजी में एक साथ विनिर्माण के दौरान व्यय में दर्शाया गया है जोकि पूर्णता पर विभिन्न परिसंपत्तियों को आबंटित किया गया है।</p>
2.7	<p><b>प्रति शेयर आय</b></p> <p>प्रति शेयर आज की गणना कर के बाद लाभ/ हानि (असाधारण मर्दों पर कर उपरांत प्रभाव ) यदि कोई हो तो वर्ष के दौरान बकाया शेयर के औसत से भाग कर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण आय की गणना लाभ/हानि कर के बाद (असाधारण मर्दों पर कर उपरांत प्रभाव) जो की लाभांश, ब्याज और अन्य प्रभार व्यय या आय तनूकृत प्रति शेयर से संबन्धित एलपी प्रति शेयर मूल आय, जो प्रति शेयर औसत भार और प्रति इक्विटी शेयर का औसत भार जिसे सभी भावी इक्विटी शेयर का तनुकरण मूल्य का अंतरण को भाग कर की जाती है। भावी इक्विटी शेयर को तनुकरण केवल माना जाता है। यदि केवल इक्विटी शेयर का अंतरण सतत सामान्य प्रचलन में निव्वल आय प्रति शेयर की कमी हो। अवधि के प्रारम्भ में भावी तनूकृत इक्विटी शेयर का अंतरण किया जाता है(अन्यथा वे बाद के तिथि में जारी किए गए हों। तनूकृत भावी इक्विटी शेयर का समायोजन यदि शेयर मानक मूल्य(बकाया शेयरों के औसत बाजार मूल्य)) में जारी किए गए हों तो प्राप्त नकद प्राप्तियों से की जाती है। तनूकृत भावी इक्विटी शेयर प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के आधार पर स्वतंत्र रूप से निश्चित की जाती है। इक्विटी शेयरों की संख्या और भावी तनूकृत शेयरों का समायोजन शेयर विभाजन/विपरीत शेयर विभाजन और बोनस शेयर जो भी उचित हो के आधार पर होती है।</p>
2.8	<p><b>आय पर कर</b></p> <p>वर्तमान कर वह राशि है जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर देय होती है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) कर कानूनों के अनुसार देय होती है, जो आयकर देयता के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ देती है, यदि समुचित प्रमाण हो कि कंपनी तदनुसार सामान्य आय कर अदा करेगी तो इसे परिसंपत्ति माना जाता है।</p> <p>आस्थगित कर की मान्यता समय अंतराल पर होती है जिसमें कर योग्य आय एवं लेखा आय जोकि एक अवधि में प्रारम्भ होकर एक या एक से अधिक अवधि में अंतरण होती हैं। आस्थगित कर की माप कर दर एवं लागू कर नियम या तदनुसार सूचित तिथि के अनुसार होती है। आस्थगित कर देयता की मानिता सभी समय अंतरण पर होती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति नि-समावेशित अवमुल्यन और हानि को आगे करने के रूप में मान्यता देती है। जब केवल यह आभासी संभाव्यता हो कि समुचित भविष्य कर योग्य आय परिसंपत्ति को पूर्ण करने के लिए होगी। समय अंतरण के आस्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता अन्य मर्दों के लिए केवल उसी दूरी तक होती है जब निश्चित संभावता हो कि समुचित भविष्य कर आय प्राप्तियों के विरुद्ध उपस्थित रहेगा। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता का शोधन किया जाता है यदि वे मर्दें अन्य पर कर उन्हीं समान शासकीय कर नियम और कंपनी के पास उस शोधन को लागू करने का न्यायिक अधिकार हो। आस्थगित कर परिसंपत्ति की उनकी कारयानव्ययन के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।</p>
2.9	<p><b>परिसंपत्तियों का जोखिम</b></p> <p>परिसंपत्तियों का चालू मूल्य/नकद उत्पादक इकाई की प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में जोखिम हेतु समीक्षा होनी चाहिए। यदि जोखिम हेतु कोई संकेत हो तो संबन्धित परिसंपत्ति की उगाही राशि और जोखिम को मान्यता देनी चाहिए। यदि परिसंपत्ति का चालू मूल्य उगाही राशि से अधिक हो। उगाही राशि निवल बिक्री मूल्य और उसके प्रयोग मूल्य से अधिक होनी चाहिए। प्रयोग मूल्य की गणना वातमान मूल्य यथोचित छूट को भविष्य के नकद प्रवाह से घटा कर की जानी चाहिए। जहां यह संकेत हो कि परिसंपत्ति जोखिम हानि पूर्व लेखा अवधि के जोखिम अब अस्तित्व में नहीं है या घट गए हैं इस मामले में हानि और लाभ के विवरण में विपरीत जोखिम हानि दिया जाना चाहिए, सिर्फ परिसंपत्ति के पुनः मूल्यांकन को छोड़कर।</p>

# MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of the financial statements

Note 2 Significant accounting policies (contd.)

Note	Particulars
2.6	<p><b>Tangible fixed assets / Intangible assets / Capital work in progress</b></p> <p>Fixed assets, are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed asset and whose use is expected to be irregular are capitalised and depreciated over the useful life of the principal item of the relevant assets. Subsequent expenditure relating to fixed assets is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.</p> <p>Assets under construction as at balance sheet date are shown as Capital Work in Progress (CWIP). Expenditure including consultancy charges related to construction activity have been capitalized. All direct expenditure attributable to the various components of the project are accounted as CWIP under respective heads. Common expenses which are directly related to the construction activities, but attributable to more than one components of works are grouped under CWIP as expenses during construction, to be allocated to various assets on completion.</p>
2.7	<p><b>Earnings per share</b></p> <p>Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares. Potential equity shares are deemed to be dilutive only if their conversion to equity shares would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations. Potential dilutive equity shares are deemed to be converted as at the beginning of the period, unless they have been issued at a later date. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the shares been actually issued at fair value (i.e. average market value of the outstanding shares). Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented. The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted for share splits / reverse share splits and bonus shares, as appropriate.</p>
2.8	<p><b>Taxes on income</b></p> <p>Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.</p> <p>Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.</p> <p>Deferred tax is recognised on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantially enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all timing differences. Deferred tax assets in respect of unabsorbed depreciation and carry forward of losses are recognised only if there is virtual certainty that there will be sufficient future taxable income available to realise such assets. Deferred tax assets are recognised for timing differences of other items only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realised. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date for their realisability.</p>
2.9	<p><b>Impairment of assets</b></p> <p>The carrying values of assets / cash generating units at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss, except in case of revalue assets.</p>



## मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट -2 विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ

2.10	<p><b>प्रावधान एवं आकस्मिता</b></p> <p>जब कंपनी के वर्तमान दायित्व पिछले परिणाम के आधार पर और संभाव्य संशोधनों की निकासी उन दायित्वों को पूरा करने हेतु होता है जिसका आधिकारिक प्राक्कलन बनाया जा सके वहाँ पूर्व योजना को मान्यता दी जाती है। पूर्व योजना का निर्धारण हेतु उच्च प्राक्कलन तुलन पत्र के दायित्व को पूरा करने हेतु अपेक्षित है। इसकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि एवं समायोजन उच्च प्राक्कलन के रूप में प्रदर्शित हो। आकस्मिक दायित्व मान्य होती है जब संभाव्य दायित्व पिछले घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसकी उपस्थिती धतना के होने या न होने से निश्चित होती है। एक या अधिक असंभावित घटना जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो। वर्तमान दायित्व की मान्यता नहीं होती है कि संशोधनों का नकद प्रवाह दायित्व को पूरा करने के लिए होता है। तुलन पत्र की तिथि में को आकस्मिक दायित्व/परिसंपत्ति नहीं रहती है।</p>
2.11	<p><b>कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान</b></p> <p>कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि एवं उपदान शामिल है।</p> <p><u>परिभाषित अंशदान योजना</u></p> <p>कंपनी द्वारा भविष्य निधि एवं उपदान में अंशदान योजना के रूप में परिभाषित की जाती है और व्यय के रूप में प्रभारित होता है क्योंकि वे देय अपेक्षित अंशदान की राशि पर आधारित होती है।</p>
2.12	<p><b>सेगमेंट रेपोर्टिंग</b></p> <p>कंपनी का एफ एक रेपोर्टिंग व्यवसाय सेगमेंट होता है जो मेट्रो रेल व्यवस्था के विकास, चलन और अनुरक्षण करता है। तदनुसार जो राशि वित्तीय विवरण में दर्शाया जाता है वो कंपनी के एक व्यवसाय सेगमेंट से संबन्धित होती है।</p>
2.13	<p><b>नकद एवं नकद समतुल्य</b></p> <p>नकद और नकद समतुल्य बैंक में नकद और अल्पावधि निवेश को शामिल करते हैं। कंपनी 12 माह या उससे कम के निवेश को तरल मानती है और यह नकद तुल्य माना जाता है।</p>
<p>संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।</p> <p>ए.वी.एरोलकर एंड कंपनी..</p> <p>चार्टरित लेखाकार फ़र्म पंजीकरण सं 100542 W.</p> <p>अभय वी. एरोलकर सांझेदार मैम्बरशिप सं 32453 स्थान: मुंबई</p>	
<p>बोर्ड निदेशक के लिए तथा के स्थान पर</p> <p>अश्विनी भिड़े प्रबंध निदेशक</p> <p>इंद्रनील सरकार मुख्य वित्तीय अधिकारी</p> <p>ए.ए.भट्ट निदेशक</p> <p>ऋतु देब कंपनी सचिव</p>	

# MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of the financial statements

Note 2 Significant accounting policies (contd.)

## 2.10 Provisions and contingencies

A provision is recognized when company has present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provision are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance sheet date. These are reviewed at each Balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. A contingent liability is recognized when a possible obligation that rises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events beyond the control of the company a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. There are no contingent liabilities/assets as on the balance sheet date.

## 2.11 Provision for employees benefits

Employee benefits include provident fund and gratuity.

### Defined contribution plans

The Company's contribution to provident fund and gratuity are considered as defined contribution plans and are charged as an expense as they fall due based on the amount of contribution required to be made.

## 2.12 Segment Reporting

The Company has only one reportable business segment, which is developing, running and maintaining of metro rail system. Accordingly, the amounts appearing in the financial statements are related to the Company's Single business segment.

## 2.13 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprises of cash at bank and short term Fixed deposit investments. The company considers all highly liquid liquid investments with an original maturity of twelve months or less from the date of investment made, to be cash equivalents.

In terms of our report attached

For A. V. Arolkar & Co..

Chartered Accountants

FRN : 100542W

Abhay Vasant Arolkar  
Partner

Membership No. : 32453

Place :- Mumbai

Date

18/8/2011

For and on behalf of the Board of Directors

Aswini Bhide  
Managing Director

A. A Bhatt  
Director

Indranil Sarkar  
Chief Financial Officer

Ritu Deb  
Company Secretary

**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

**नोट 3 शेयर पूंजी**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक		31 मार्च 2014 तक	
	शेयरों की संख्या	रुपए	शेयरों की संख्या	रुपए
(क) प्राधिकृत रु 100/- प्रति इक्विटी शेयर	500,000,000	50,000,000,000	2,500,000	250,000,000
(ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त रु 100/- प्रति इक्विटी शेयर	5,000	500,000	5,000	500,000
<b>कुल</b>	5,000	500,000	5,000	500,000

**नोट्स :**

**(i) इक्विटी शेयरों से संबन्धित शर्तें एवं अधिकार**

कंपनी के पास रु 100/- प्रति शेयर की अंकित मूल्य वाले केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर धारक कंपनी के सदस्यों को कंपनी के समक्ष रखे प्रस्ताव पर मतदान करने व लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। मतदान में मत का अधिकार शेयरधारकों के कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के हिस्से के अनुपात में होता है।

**(ii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में शेयरों तथा बकाया राशि का समाधान:**

विवरण	अथ शेष	नए जारी	बोनस	अंत शेष
<b>मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर</b>				
<b>31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष</b>				
- शेयरों की संख्या	5,000	-	-	5,000
- राशि(रु)	500,000	-	-	500,000
<b>31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष</b>				
- शेयरों की संख्या	5,000	-	-	5,000
- राशि (रु)	500,000	-	-	500,000

**(iii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा नियंत्रित शेयरों का विवरण:**

शेयर का प्रकार/शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2015 तक		31 मार्च 2014 तक	
	नियंत्रित शेयरों की संख्या	उस प्रकार के शेयर की प्रतिशतता	नियंत्रित शेयरों की संख्या	उस प्रकार के शेयर की प्रतिशतता
मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम एम आर डी ए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापित एक प्राधिकरण) इसके मनोनीत के साथ	5,000	100.00%	5,000	100.00%



**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
Notes forming part of the financial statements

Note 3 Share capital

(Amount in Rs.)

Particulars	As at 31 March, 2015		As at 31 March, 2014	
	Number of shares	Rs.	Number of shares	Rs.
(a) Authorised Equity shares of ₹ 100 each	500,000,000	50,000,000,000	2,500,000	250,000,000
(b) Issued, Subscribed & fully paid up Equity shares of ₹ 100 each	5,000	500,000	5,000	500,000
<b>Total</b>	<b>5,000</b>	<b>500,000</b>	<b>5,000</b>	<b>500,000</b>

**Notes :**

(i) Terms and Rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Members of the Company holding equity shares therein have a right to vote, on every resolution placed before the Company and right to receive dividend. The voting rights on a poll is in proportion to the share of the paid up equity capital of the Company held by the shareholders.

(ii) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Particulars	Opening Balance	Fresh issue	Bonus	Closing Balance
Equity shares with voting rights				
Year ended 31 March, 2015				
- Number of shares	5,000	-	-	5,000
- Amount (₹)	500,000	-	-	500,000
Year ended 31 March, 2014				
- Number of shares	5,000	-	-	5,000
- Amount (₹)	500,000	-	-	500,000

(iii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

Class of shares / Name of shareholder	As at 31 March, 2015		As at 31 March, 2014	
	Number of shares held	% holding in that class of shares	Number of shares held	% holding in that class of shares
Equity shares with voting rights Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA, an authority established under Mumbai Metropolitan Act, 1974) alongwith its nominees	5,000	100.00%	5,000	100.00%



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

**नोट 4 आरक्षित एवं अधिशेष**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
(क) लाभ/हानि के विवरण में अधिशेष/कमी		
अथ शेष	(7,346,018)	(2,984,173)
जमा: वर्ष का लाभ/हानि	(46,740,583)	(4,361,845)
<b>अंत शेष</b>	<b>(54,086,601)</b>	<b>(7,346,018)</b>

**नोट 5 अल्पावधि उधारी**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
एम एम आर डी ए से असुरक्षित लोन (100% शेयर रखने वाली सत्ता)	819,242,072	643,333,756
(लोन ब्याज मुक्त है तथा वसूली की शर्तें विनिर्दिष्ट नहीं हैं)		
<b>कुल</b>	<b>819,242,072</b>	<b>643,333,756</b>

**नोट 6 व्यापार देय**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
लघु उद्यमों को देय	-	-
अन्य	2,597,482	199,655
<b>कुल</b>	<b>2,597,482</b>	<b>199,655</b>

**नोट 7 अन्य वर्तमान देनदारी**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
(क) सांविधिक भेजी गई रकम		
विधारित कर	252,597	17,851
सेवा कर	126,493	-
<b>कुल</b>	<b>379,090</b>	<b>17,851</b>

**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
Notes forming part of the financial statements

**Note 4 Reserves and surplus**

( Amount in Rs )

Particulars	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
(a) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening balance	(7,346,018)	(2,984,173)
Add: Profit / (Loss) for the year	(46,740,583)	(4,361,845)
Closing balance	(54,086,601)	(7,346,018)

**Note 5 Short - term Borrowing**

( Amount in Rs )

Particulars	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
Unsecured loan from MMRDA ( an entity holding 100% shares ) ( The loan is a interest free and the terms of its repayment are not specified)	819,242,072	643,333,756
Total	819,242,072	643,333,756

**Note 6 Trade payables**

(Amount in Rs )

Particulars	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
Due to micro and small enterprises	-	-
Others	2,597,482	199,655
Total	2,597,482	199,655

**Note 7 Other Current Laibilities**

(Amount in Rs )

Particulars	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
(a) Statutory remittances		
Withholding taxes	252,597	17,851
Service tax	126,493	-
Total	379,090	17,851



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

**नोट संख्या 8: स्थायी परिसंपत्तियां**

मूल संपत्ति	सकल ब्लॉक			संचित अवमूल्यन					शुद्ध ब्लॉक	
	अप्रैल 2014 को शेष	परिवर्धन/निपटन	पुनः मूल्यांकन	31 मार्च 2015 को शेष	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन प्रभार	निपटन हेतु	31 मार्च 2015 को शेष	31 मार्च 2015 को शेष	1 अप्रैल 2014 को शेष
स्वामित्वीत उपकरण	172,755	532,250	-	705,005	34,551	229,300	-	263,851	441,154	138,204
स्वामित्वीत कम्प्यूटर	-	1,357,704	-	1,357,704	-	574,374	-	574,374	783,330	-
स्वामित्वीत वाहन	-	4,697,745	-	4,697,744	-	98,502	-	98,502	4,599,243	-
<b>कुल</b>	<b>172,755</b>	<b>6,587,699</b>	<b>-</b>	<b>6,760,454</b>	<b>34,551</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>936,727</b>	<b>5823,727</b>	<b>138,204</b>
<b>गत वर्ष</b>	<b>-</b>	<b>172,755</b>	<b>-</b>	<b>172,755</b>	<b>-</b>	<b>34,551</b>	<b>-</b>	<b>34,551</b>	<b>138,204</b>	<b>-</b>

**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
Notes forming part of the financial statements

Note No.8 : Fixed Assets

(Amount in Rs.)

Tangible assets	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block		
	Balance as at 1 April 2014	Additions/ (Disposals)	Revaluation	Balance as at 31 March 2015	Balance as at 1 April 2014	Depreciation charge for the year	On disposals	Balance as at 31 March 2015	Balance as at 1 April 2014
Owned office equipments	172,755	532,250		705,005	34,551	229,300		441,154	
Owned computers		1,357,704		1,357,704		574,374		783,330	138,791
Owned vehicles		4,697,745		4,697,745		98,502		4,599,243	
<b>Total</b>	<b>172,755</b>	<b>6,587,699</b>		<b>6,760,454</b>	<b>34,551</b>	<b>902,176</b>		<b>5,893,727</b>	<b>138,791</b>
Previous year		<b>172,755</b>		<b>172,755</b>		<b>34,551</b>		<b>138,204</b>	



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

नोट - 9 कार्यगत पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण	अथ डब्ल्यू आई पी	वर्ष के दौरान परिवर्धन	एम एम आर डी ए को लौटाई गई राशि	अंत डब्ल्यू आई पी
<b>मेट्रो 3 परियोजना</b>				
कंसल्टेंसी फीस	285,150,069	-	-	285,150,069
परामर्श - एकीकृत टिकिट प्रणाली हेतु	9,830,998	-	-	9,830,998
तकनीकी सहायता				
मुंबई मेट्रो रेलवे	3,707,880	-	-	3,707,880
(कोलबा-बांद्रा) पर व्यय	195,304,152	155,794,404	-	351,098,556
अंतरिम परामर्श फीस				
पी एम सी प्रभार-				
व्यापारिक संकुल तथा				
दुकान केंद्र का विभाग	9,342,977	-	-	9,342,977
सर्वेक्षण प्रभार	-	2,416,500	-	2,416,500
<b>मेट्रो 2 परियोजना</b>				
परामर्श हेतु फीस	-	15,730,400	-	15,730,400
<b>अन्य परियोजनाएँ</b>				
कंसल्टेंसी फीस -	1,654,500	-	1,654,500	-
पर्णिकुलर रेलवे			10,814,720	-
कंसल्टेंसी फीस -मोनोरेल	10,814,720	-	-	-
कंसल्टेंसी फीस -				
बहुप्रकारता गैलरी				
(विरार-अलीबाग)	53,840,763	-	53,840,763	-
कंसल्टेंसी- बी के सी				
मोरोरेल	5,168,217	-	5,168,217	-
यात्रा व्यय (विदेश दौरा)	4,429,022	-	4,429,022	-
<b>कुल</b>	<b>579,243,298</b>	<b>173,941,304</b>	<b>75,907,222</b>	<b>677,277,380</b>

**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
Notes forming part of the financial statements

Note: 9 Capital work-in-progress

Particulars	(Amount in Rs)			
	Opening WIP	Additions during the year	Write Back to MMRDA	Closing WIP
<b>Project Metro 3</b>				
Consultancy Fees	285,150,069	-	-	285,150,069
Consult - Tech Assistant for Integrated Ticketing	9,830,998	-	-	9,830,998
Exp. On Mumbai Metro Rly (Colaba- Bandra)	3,707,880	-	-	3,707,880
Interim Consultancy Fees	195,304,152	155,794,404	-	351,098,556
PMC charges - Dev of Comm. Complex & Shopping Centre	9,342,977	-	-	9,342,977
Survey Charges	-	2,416,500	-	2,416,500
<b>Project Metro 2</b>				
Consultancy Fees	-	15,730,400	-	15,730,400
<b>Other Projects</b>				
Consultancy Fees - Furnicular Railways	1,654,500	-	1,654,500	-
Consultancy Fees - Monorail	10,814,720	-	10,814,720	-
Consultancy Fees - Multimodal Corridor (Virar-Alibaug)	53,840,763	-	53,840,763	-
Consultancy - Monorail in BKC	5,168,217	-	5,168,217	-
Travelling Exp (Foreign Tour)	4,429,022	-	4,429,022	-
<b>Grand Total</b>	<b>579,243,298</b>	<b>173,941,304</b>	<b>75,907,222</b>	<b>677,277,380</b>



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

नोट 10 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
(क) हाथ रोकड़	-	-
ख) बैंक शेष		
(i) चालू खातों में	58,915,454	55,044,458
(ii) जमा खातों में	24,500,000	-
<b>कुल</b>	<b>83,415,454</b>	<b>55,044,458</b>

नोट 11 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
असुरक्षित तथा उचित समझी जाने वाली		
(क) प्रतिभूति जमा	46,000	16,000
(ख) पूर्वदत्त व्यय	53,978	--
(ग) पूर्वदत्त कर (शुद्ध प्रावधान 'निरंक', गत वर्ष 'निरंक')	191,851	--
(घ) दूसरों को दिए गए अग्रिम	65,000	--
<b>कुल</b>	<b>356,829</b>	<b>16,000</b>

नोट 12 अन्य चालू परिपत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
असुरक्षित तथा उचित समझी जाने वाली		
(क) प्रारम्भिक व्यय	--	2,263,284
ख) जमा पर प्रोदभूत ब्याज	17,26,656	--
ग) अन्य प्राप्य	31,997	--
<b>कुल</b>	<b>17,58,653</b>	<b>2,263,284</b>



**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
Notes forming part of the financial statements

**Note 10 Cash and cash equivalents**

Particulars	(Amount in Rs)	
	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
(a) Cash on hand	-	-
(b) Balances with banks		
(i) In current accounts	58,915,454	55,044,458
(ii) In deposit accounts	24,500,000	-
<b>Total</b>	<b>83,415,454</b>	<b>55,044,458</b>

**Note 11 Short term loans and advances**

Particulars	(Amount in Rs)	
	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
<b>Unsecured and considered good</b>		
(a) Security deposits	46,000	16,000
(b) Prepaid Expenses	53,978	-
(c) Prepaid taxes (net provision "nil"; prev. yr "nil")	191,851	-
(d) Advance to others	65,000	-
<b>Total</b>	<b>356,829</b>	<b>16,000</b>

**Note 12 Other current assets**

Particulars	(Amount in Rs)	
	As at 31 March, 2015	As at 31 March, 2014
<b>Unsecured and considered good</b>		
(a) Preliminary expenses	-	2,263,284
(b) Interest accrued on deposits	1,726,656	-
(c) Other receivables	31,997	-
<b>Total</b>	<b>1,758,653</b>	<b>2,263,284</b>



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

**नोट 13 अन्य आय**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
बैंक जमा पर ब्याज	1,918,507	--
निविदा फीस	3,313,829	81,545
<b>कुल</b>	<b>5,232,336</b>	<b>81,545</b>

**नोट 14 कर्मचारी हितलाभ व्यय**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	3,493,276	--
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	348,079	--
स्टाफ हितलाभ व्यय	298,512	--
<b>कुल</b>	<b>41,40,497</b>	<b>--</b>

**नोट 15 अन्य व्यय**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन	4,353,474	3,013,280
बैंक प्रभार	896	186
संचार/पत्राचार व्यय	263,999	54,085
बीमा व्यय	10,796	-
कानूनी एवं वृत्तिक फीस	996,489	858,857
कार्यालय व्यय	887,501	84,618
लेखापरीक्षकों की फीस(नोट सं 15.1 के संदर्भ में)	34,200	155,253
छपाई तथा लेखन सामग्री	2,252,346	32,916
दर एवं कर	206,774	-
मुरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	25,500	-
सुरक्षा व्यय	1,469,022	-
यात्रा एवं वाहन	1,660,981	209,644
पूर्व अवधि व्यय(नोट सं 15.2 के संदर्भ में)	4,472,808	-
<b>कुल</b>	<b>16,634,786</b>	<b>4,408,839</b>

**नोट 15.1 लेखापरीक्षकों की फीस**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षकों की फीस में समाविष्ट:		
- सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए	30,000	155,253
- उपरोक्त पर कर	4200	--
<b>कुल</b>	<b>34,200</b>	<b>155,253</b>

**नोट 15.2 पूर्व अवधि व्यय**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	4,429,022	--
टेलीफोन व्यय	43,786	--
<b>कुल</b>	<b>4,472,808</b>	<b>--</b>

**नोट 16 विशिष्ट मदें**

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष के लिए
आर ओ सी व्यय (प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने हेतु)	28,032,176	--
प्रारम्भिक प्रभार छोड़ना	2,263,284	--
<b>कुल</b>	<b>30,295,460</b>	<b>--</b>

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED  
Notes forming part of the financial statements

Note 13 Other Income

Particulars	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31 March, 2015	For the year ended 31 March, 2014
Interest on bank deposits	1,918,507	
Tender fees	3,313,829	81,545
<b>Total</b>	<b>5,232,336</b>	<b>81,545</b>

Note 14 Employee Benefit Expenses

Particulars	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31 March, 2015	For the year ended 31 March, 2014
Salary and Wages	3,493,276	
Contribution to provident and other funds	348,709	
Staff Welfare Expenses	298,512	
<b>Total</b>	<b>4,140,497</b>	

Note 15 Other Expenses

Particulars	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31 March, 2015	For the year ended 31 March, 2014
Advertisement	4,351,474	3,013,280
Bank charges	896	186
Communication expenses	263,999	54,085
Insurance charges	10,796	
Legal and professional fees	996,489	858,857
Office expenses	887,501	84,618
Payment to auditors (refer note no. 15.1)	34,200	155,253
Printing & stationery	2,252,346	32,916
Rates & taxes	206,774	
Repairs & maintenance - others	25,500	
Security charges	1,469,022	
Travelling & conveyance	1,660,981	209,644
Prior period items (refer note no. 15.2)	4,472,808	
<b>Total</b>	<b>16,634,786</b>	<b>4,408,839</b>

Note 15.1 Payment to auditors

Particulars	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31 March, 2015	For the year ended 31 March, 2014
(i) Payment to auditor's comprises		
- For Statutory audit	10,000	155,253
- Taxes on above	4,200	
<b>Total</b>	<b>34,200</b>	<b>155,253</b>

Note: 15.2 Prior period items

Particulars	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31 March, 2015	For the year ended 31 March, 2014
Travelling Expenses	4,429,022	
Telephone Expenses	41,786	
<b>Total</b>	<b>4,470,808</b>	

Note:16 Exceptional Items

Particulars	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31 March, 2015	For the year ended 31 March, 2014
ROC charges (for increase in authorised capital)	28,032,176	
Preliminary expenses written off	2,267,284	
<b>Total</b>	<b>30,299,460</b>	



**मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित**  
**वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार**

**नोट-17 प्रकटीकरण एवं लेखांकन मानक**

नोट	विवरण				
17.1	सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम के संबंध में 31 मार्च 2015 तक की सूचना 31 मार्च 2015 तक सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम को कोई राशि देय नहीं थी।				
17.2	आर.ओ.सी. का प्रकटीकरण अधिकृत शेयर पूंजी का 25 करोड़ रु से 5000 करोड़ रु वृद्धि होने पर आर.ओ.सी. प्रभार में 2,80,32,176/- रु वर्ष के दौरान व्यय किए गए थे। इस आर.ओ.सी. प्रभार को चालू वर्ष (2014-15) में अपवाद व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह एक बार का व्यय था और इसे अमूर्त लाभ होने के कारण बट्टे खाते में डाला गया।				
17.3	कर्मचारी हितलाभ-ए एस 15(संशोधित) के संबंध में प्रकटीकरण <b>परिभाषित अंशदान योजना</b> कंपनी द्वारा योजना के अंतर्गत भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि एवं अन्य सांविधिक अंशदान अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाके लिए की जाती है। कंपनी द्वारा यह अपेक्षित है कि पे-रोल लागत का विशिष्ट प्रतिशतता निधि के रूप में लाभ के लिए अंशदान कटे। कंपनी द्वारा 3,48,709/- रु (31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष) लाभ और हानि विवरण में अंशदान के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा इन योजना के अंतर्गत अंशदान इन योजनाओं के नियमों में दिए गए दर के अनुसार की गई है।				
17.4	सेगमेंट रिपोर्टिंग एस ए-17 के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी का सिर्फ एक रिपोर्टेबल व्यवसाय सेगमेंट है जो मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के विकास, चालन एवं अनुरक्षण का कार्य करता है। तदनुसार वित्तीय विवरण में दर्शाई गई राशि कंपनी के एक व्यवसाय सेगमेंट से संबन्धित है।				
17.5	संबन्धित दल संव्यवहार				
17.5	पार्टियों से संबन्धित सूचना:				
क	सम्बन्धों का विवरण				
	संबन्धित पार्टी का नाम				
	मुख्य प्रबंधकीय कर्मी				
	अश्विनी भिड़े(प्रबंध निदेशक) एस.के.गुप्ता(निदेशक-परियोजना) ए.ए.भट्ट (निदेशक-सिस्टम) आर.रमना (कार्यकारी निदेशक-योजना) इंद्रनील सरकार (मुख्य वित्तीय अधिकारी) मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण				
	होल्टिंग एकक (100% शेयर होल्टिंग)				
	नोट: संबन्धित दल प्रबंधन द्वारा चिन्हित किए गए हैं।				
17.5	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में दल संव्यवहार का ब्यौरा और 31 मार्च 2015 को बकाया शेष:				
ख					
	के.एम.पी.	के.एम.पी. के संबंधी	होल्टिंग एकक	कुल	
	वेतन	2,022,628	(-)	(-)	2,022,628
		(-)	(-)	(-)	(-)
	अल्पावधि उधारी	-	-	247,386,516	247,386,516
		(-)	(-)	(200,765,501)	(200,765,501)
	वर्ष की समाप्ती पर				
	बकाया शेष	835,294			835,294
		(-)	(-)	(-)	(-)
	व्यापार देय			819,242,072	819,242,072
	अल्पावधि उधारी			(643,333,756)	(643,333,756)
17.6	नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। कंपनी द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इन दलों से संबन्धित उपरोक्त सूचनाओं को एक सीमा तक सत्यापन किया गया है जिसे लेखापरीक्षक द्वारा मान्य किया गया है। लीज (पट्टे)- एस 19 ले संबंध में प्रकटीकरण कंपनी द्वारा किसी भी क्षेत्र को लीज पर लिया/दिया नहीं गया है। इसलिए ए एस- 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं की गई है।				

**MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

Notes forming part of the financial statements

**Note 17 Disclosures under Accounting Standards**

Note	Particulars																														
17.1	<p><b>Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March, 2015</b></p> <p>There were no amount due to micro, small and medium enterprises as at 31st March, 2015</p>																														
17.2	<p><b>Disclosure on ROC Expenses</b></p> <p>ROC Charges of Rs. 2,80,32,176/- incurred during the year on increase of Authorised Share Capital from Rs. 25 Crores to Rs. 5,000 Crores. These ROC charges have been classified as an Exceptional Expenses in the current year (FY 2014-15) as its is an one time expenses, and have been written off as they are of intangible benefit.</p>																														
17.3	<p><b>Disclosure in respect of AS - 15 (Revised) - Employees Benefits</b></p> <p><u>Defined contribution plans</u> The Company makes Provident Fund, Superannuation Fund contributions and other statutory contributions to defined contribution plans for qualifying employees. Under the Schemes, the Company is required to contribute a specified percentage of the payroll costs to fund the benefits. The Company recognised Rs. 3,48,709/- (Year ended 31 March, 2014 - Nil) as contributions to these funds in the Statement of Profit and Loss. The contributions payable to these plans by the Company are at rates specified in the rules of the schemes.</p>																														
17.4	<p><b>Disclosure in respect of AS - 17 - Segment Reporting</b></p> <p>The Company has only one reportable business segment, which is developing, running and maintaining of Mumbai Metro rail project. Accordingly, the amounts appearing in the financial statements are related to the Company's single business segment.</p>																														
17.5	<p><b>Related party transactions</b></p>																														
17.5 a	<p><b>Details of related parties:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description of relationship</th> <th>Names of related parties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Key Management Personnel (KMP)</td> <td>Ashwini Bhide (Managing Director) S. K. Gupta (Director - Project) A. A. Bhatt (Director - Systems) R. Ramana (Executive Director - Planning) Indranil Sarkar (Chief Financial Officer)</td> </tr> <tr> <td>Holding entity (holding 100% shares)</td> <td>Mumbai Metropolitan Region Development Authority</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> Related parties have been identified by the Management.</p>	Description of relationship	Names of related parties	Key Management Personnel (KMP)	Ashwini Bhide (Managing Director) S. K. Gupta (Director - Project) A. A. Bhatt (Director - Systems) R. Ramana (Executive Director - Planning) Indranil Sarkar (Chief Financial Officer)	Holding entity (holding 100% shares)	Mumbai Metropolitan Region Development Authority																								
Description of relationship	Names of related parties																														
Key Management Personnel (KMP)	Ashwini Bhide (Managing Director) S. K. Gupta (Director - Project) A. A. Bhatt (Director - Systems) R. Ramana (Executive Director - Planning) Indranil Sarkar (Chief Financial Officer)																														
Holding entity (holding 100% shares)	Mumbai Metropolitan Region Development Authority																														
17.5 b	<p><b>Details of related party transactions during the year ended 31 March, 2015 and balances outstanding as at 31 March, 2015:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KMP</th> <th>Relatives of KMP</th> <th>Holding entity</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salaries</td> <td>2,022,628 (-)</td> <td>(-) (-)</td> <td>(-) (-)</td> <td>2,022,628 (-)</td> </tr> <tr> <td>Short term borrowing</td> <td>- (-)</td> <td>- (-)</td> <td>247,386,516 (200,765,501)</td> <td>247,386,516 (200,765,501)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Balances outstanding at the end of the year</b></td> </tr> <tr> <td>Trade payables</td> <td>835,294 (-)</td> <td>(-) (-)</td> <td>(-) (-)</td> <td>835,294 (-)</td> </tr> <tr> <td>Short term borrowing</td> <td>- (-)</td> <td>- (-)</td> <td>819,242,072 (643,333,756)</td> <td>819,242,072 (643,333,756)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> Figures in bracket relates to the previous year. The above information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information provided by the company, which has been relied upon by the Auditor.</p>		KMP	Relatives of KMP	Holding entity	Total	Salaries	2,022,628 (-)	(-) (-)	(-) (-)	2,022,628 (-)	Short term borrowing	- (-)	- (-)	247,386,516 (200,765,501)	247,386,516 (200,765,501)	<b>Balances outstanding at the end of the year</b>					Trade payables	835,294 (-)	(-) (-)	(-) (-)	835,294 (-)	Short term borrowing	- (-)	- (-)	819,242,072 (643,333,756)	819,242,072 (643,333,756)
	KMP	Relatives of KMP	Holding entity	Total																											
Salaries	2,022,628 (-)	(-) (-)	(-) (-)	2,022,628 (-)																											
Short term borrowing	- (-)	- (-)	247,386,516 (200,765,501)	247,386,516 (200,765,501)																											
<b>Balances outstanding at the end of the year</b>																															
Trade payables	835,294 (-)	(-) (-)	(-) (-)	835,294 (-)																											
Short term borrowing	- (-)	- (-)	819,242,072 (643,333,756)	819,242,072 (643,333,756)																											
17.6	<p><b>Disclosure in respect of AS - 19 - Leases</b></p> <p>The Company has not taken/given any premises on lease, so the disclosure under AS 19 is not presented.</p>																														



मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित  
वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट-17 लेखांकन मानक के अंतर्गत प्रकटीकरण

नोट	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
17.7	प्रति शेयर आय ए एस -20 के संबंध में प्रकटीकरण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि कम: अधिमान लाभांश तथा उस पर कर इक्विटी से संबन्धित वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि	(46,740,583) -	(4,361,845) -
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,000	5,000
	प्रति शेयर मूल्य	100	100
	प्रति शेयर आय-मूल	(9348.12)	(872.37)
	प्रति शेयर आय- तनुकरण	(9348.12)	(872.37)
17.8	ए एस 22- आय पर कर के लेखा के संबंध में प्रकटीकरण लेखा मानक-22 के अनुसार, प्रबंधन ने पर्याप्त भावी कर योग्य आय की अनिश्चितता ध्यान में रखते हुए तथा तर्क के साथ आस्थगित कर सम्पत्तियों को स्वीकार नहीं किया है।		
17.9	ए एस 28- सम्पत्तियों की हानि के संबंध में प्रकटीकरण वर्तमान में, परिसम्पत्तियों के नुकसान के संबंध में कोई संकेत नहीं हैं। अतः वित्तीय विवरण में		
17.10	किसी प्रकार की परिसंपत्ति पर हुई हानि का विवरण नहीं है। पूँजी सुपुर्दगी, आकस्मिक देनदारी तथा आकस्मिक परिसंपत्ति		
18	31 मार्च 2015 तक कोई आकस्मिक देनदारी नहीं थी। चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के समरूप बनाने के लिए जहां आवश्यक है गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।		


MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of the financial statements

Note 17 Disclosures under Accounting Standards

(Amount in Rs.)

Note	Particulars	For the year ended 31	For the year ended 31
		March, 2015	March, 2014
17.7	<b>Disclosure in respect of AS - 20- Earnings per share</b>		
	Net profit / (loss) for the year	(46,740,583)	(4,361,845)
	Less: Preference dividend and tax thereon	-	-
	Net profit / (loss) for the year attributable to the equity	(46,740,583)	(4,361,845)
	Weighted average number of equity shares	5,000	5,000
	Par value per share	100	100
	Earnings per share - Basic	(9,348.12)	(872.37)
	Earnings per share - Diluted	(9,348.12)	(872.37)
17.8	<b>Disclosure in respect of AS - 22 - Accounting for Taxes on Income</b>		
	In view of uncertainty of sufficient future taxable income and as a matter of prudence the management has not recognized deferred tax assets in accordance with the AS-22.		
17.9	<b>Disclosure in respect of AS - 28 - Impairment of Asset</b>		
	Presently, no indication exists for the impairment of assets and hence no impairment loss on asset is considered in the financial		
17.10	<b>Capital Commitments, Contingent Liabilities and Contingent Asset.</b>		
	There were no contingent liabilities as on March 31, 2015.		
18	Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.		







CS



**MMRC**

**मंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.  
Mumbai Metro Rail Corporation Ltd.**



**Annual Report  
Financial Year 2014-15**





**MUMBAI METRO 3**  
COLABA- BANDRA- SEEPZ



Smart Mobility Era begins  
with Mumbai Metro 3 project  
harmoniously connecting the east  
with the west of the island city.

